उन्नति विचार

वर्ष : 16 अंक : 1 जनवरी-अप्रैल, 2011

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार

- सामाजिक रक्षण: विभावना एवं व्यवहार 2

आपके लिए

- सामाजिक उत्तरदायित्व का व्यवहार और चुनौतियां 11
- सामाजिक देखरेख: शिक्षण, स्वास्थ्य और ग्राम विकास 16

अपनी बात

- गुजरात में नरेगा के अधीन सामाजिक अन्वेषण: व्यवस्था और प्रक्रियाएं 20

गतिविधियाँ 23

संदर्भ सामग्री 26

अपने बारे में 28

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल, बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'UNNATI Organisation for Development Education', अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

लोकतंत्र में सरकारों के दायित्व और नागरिकों के कर्तव्य

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अथवा उनसे भिन्न व्यवस्थाओं में नागरिक आज चौराहे पर खड़े हैं। सदियों से मानव जाति राजतंत्र के युग में जीती आई है। लेकिन अब ऐसी अपेक्षा उत्पन्न हो चुकी है कि जनता द्वारा निर्वाचित सरकारें जनता के लिए पारदर्शी बनकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। नागरिक अपनी सरकारों से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि सरकारें उनकी सुरक्षा, आर्थिक विकास तथा कल्याण के लिए काम करें। इस संदर्भ में सरकारों के भ्रष्ट, अक्षम व हिंसक बन जाने के अनुभव दुनिया भर में सामने आए हैं, अतएव लोग अधिक से अधिक उत्तरदायी और सहभागी, विकेंद्रित और पारदर्शी सरकारें चाहने लगे हैं। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की आर्थिक नीतियों ने सरकारों को अधिक बाजारोन्मुखी और बाजारलक्ष्यी बना दिया है।

दूसरी ओर, बाजार की विफलता ने राज्य की भूमिका को अत्यधिक मजबूत बनाने हेतु वातावरण उत्पन्न कर दिया है। विशेष रूप से 2006-09 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने राज्य को फिर से वापिस केन्द्र में लाने की स्थिति उत्पन्न की थी। नागरिक समाज बाजार और राज्य दोनों के शोषण से मुक्त होना चाहता है। नागरिक समाज स्वाभाविक रूप से ऐसी अपेक्षा रख रहा है कि राज्य ऐसी नीतियां बनायेगा ताकि बाजार शोषण न कर सके। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं कि बाजार और राज्य मिल जाते हैं और नागरिकों का बेहद शोषण करने लगते हैं। परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक नेताओं और सरकारों को एक नियत समय के बाद जनता को जवाब देना पड़ता है, अत: उनके लिए नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बने बिना छुटकारा नहीं होता। उत्तरदायित्व की इस अनिवार्यता ने ही लोगों को खुद-ब-खुद सक्रिय बनने हेतु बाध्य किया है।

आज की तात्कालिक आवश्यकता यह है कि आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में नागरिक समाज अधिक भागीदारी बने, सक्रिय बने और सरकार की कमजोरियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाये तथा सरकारी तंत्रों को उत्तरदायी बनाने की बाध्यता पैदा करे। अधिकारी और राजनीतिक नेता जनता के प्रति उत्तरदायी बनें, उनसे संबंधित कानूनी व संस्थागत व्यवस्थाएं उपलब्ध होते हुए भी उनके काम न करने के व्यापक अनुभव जनता में हताशा उत्पन्न करते हैं। नागरिक समाज इस हताशा को दूर करे और सामाजिक उत्तरदायित्व के विविध साधनों का उपयोग करके सरकारी तंत्रों व संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाने हेतु प्रयास करे, यही अपेक्षित है।

शेष पृष्ठ 32 पर

सामाजिक रक्षणः विभावना एवं व्यवहार

वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के माहौल ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों के जीवन निर्वाह, सुरक्षा एवं रक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उनके लिए सामाजिक रक्षण की व्यवस्था कैसे गठित की जाए, राज्य के समक्ष यह एक विकट चुनौती है। 'उन्नति' की **सुश्री दीपा सोनपाल** और **श्री हेमंतकुमार शाह** द्वारा लिखे गए इस लेख में सामाजिक रक्षण की संकल्पना, उसकी जरूरत और व्यावहारिक आवश्यकताओं की विचारणा प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तावना

सभी लोगों को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में बाजार की विफलता नजर आती ही है, क्योंकि सभी के पास वांछित मात्रा में क्रय शक्ति नहीं होती। अतः सभी को अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी वस्तुएं और सेवाएं भी प्राप्त नहीं होतीं। ऐसे में सेवाएं और वस्तुएं राज्य प्रदान करे, ऐसे विचार से कल्याणकारी राज्य की संकल्पना उत्पन्न हुई। 20वीं सदी के मध्य में उभरे इस विचार के परिणाम स्वरूप राज्य द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की अनेक योजनाएं बनाई गई और अमल में लाई गईं। कल्याण के इस अभिगम में राज्य केन्द्र में था और लोग लाभार्थी थे। वे राज्य की ओर से प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लाभार्थी थे। राज्य विषयक विचार अब बदल गया है। राज्य अधिक पारदर्शी, विकेंद्रित, सहभागी और उत्तरदायी बने, ऐसी अपेक्षा रखी जा रही है, क्योंकि लोग केवल लाभार्थी नहीं वरन् नागरिक हैं। उनके पास कर्तव्य और अधिकार दोनों हैं, लोकतंत्र में वे सक्रिय सहभागी बने हैं।

दूसरी तरफ, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने उदारीकरण और निजीकरण का जो माहौल उत्पन्न किया है, उसमें करोड़ों लोग बाजार में क्रय शक्ति के अभाव से वस्तुओं और सेवाओं से ही वंचित रह जाते हैं, इतना ही नहीं, वे अवसर से भी वंचित रह जाते हैं। राज्य सिकुड़ रहा है और बाजार फैल रहा है, तब समाज के इन वंचितों के लिए सामाजिक रक्षण, (सोशियल प्रोटेक्शन) की जरूरत उत्पन्न हुई है। फिर, सामाजिक रक्षण की व्यवस्था राज्य की तरफ से दिया जाने वाला दयादान न हो, वरन् नागरिकों को अधिकार के रूप में मिले, यह विचार भी उसमें महत्त्वपूर्ण है।

वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के परिणामस्वरूप इस संदर्भ में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसका इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है:

(1) देशों के अंदर और देशों के बीच असमानता बढ़ रही है।
(2) सामाजिक क्षेत्रों के लिए खर्च करने के लिए राज्य के वित्तीय स्रोत नष्ट हो रहे हैं और राज्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है, साथ ही इन पर कम खर्च कर रहा है।
(3) दुनिया भर में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, जो अपना जीवन निर्वाह करने में भी अशक्त हैं।

इस तरह सामाजिक रक्षण प्रदान करने की आवश्यकता बढ़ी है। असहायता दूर हो और बाजार अथवा दूसरों द्वारा पैदा होने वाले खतरों के विरुद्ध रक्षण मिले, इस दृष्टि से सामाजिक रक्षण जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा का विचार कल्याणकारी राज्य में विकसित हुआ था, उसमें अधिकार विपदा और जोखिम के विरुद्ध रक्षण प्रदान करने का विचार था। सामाजिक रक्षण की संकल्पना में खतरे पैदा ही न हों, और पैदा हों तो रक्षण हेतु व्यवस्था के लिए पहले से। राज्य द्वारा योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने का उसमें समावेश होता है।

अनौपचारिक क्षेत्र में सामाजिक रक्षण की आवश्यकता

वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप श्रम बाजार अधिक से अधिक अनौपचारिक अथवा असंगठित बन रहा है, ऐसे में सामाजिक रक्षण के विषय में अधिक से अधिक चिंता हो रही है। संगठित क्षेत्र न बढ़ने के कारण या घटने की वजह से गरीबी की मात्रा बढ़ने से

विकास, सामाजिक, रक्षण और गरीबी का चक्र

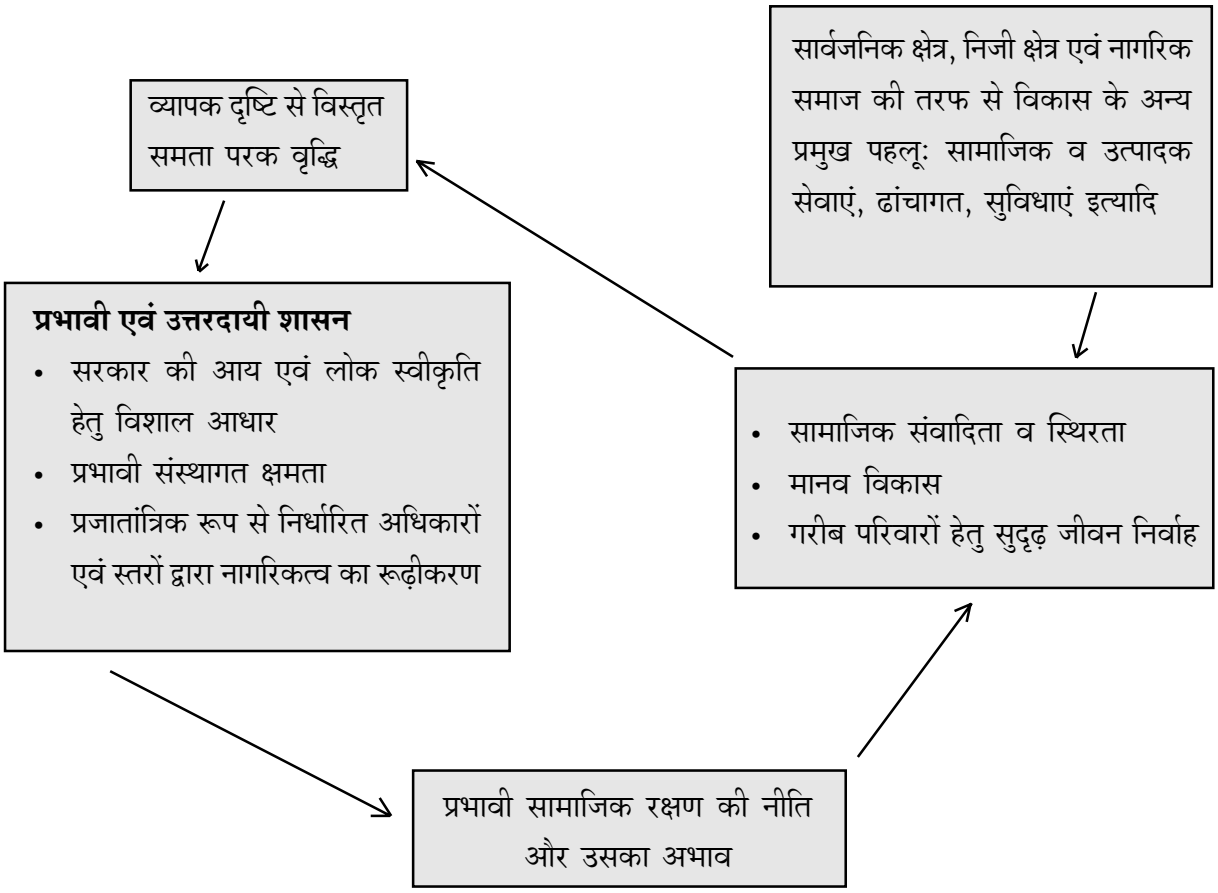

भी यह अनिवार्य हो गया है कि सामाजिक रक्षण बढ़े व मजबूत बने। 'सामाजिक सुरक्षा जाल' जैसी सरकारी योजनाएं बहुधा बहुत प्रभावी नहीं बनी अथवा बहुधा ऐसी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं लगता। अत: मजदूरों और उनके परिवारों की सुरक्षा भी घटी है, क्योंकि आय की सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं रहा। जैसी हो वैसी 'सामाजिक सुरक्षा जाल' योजना भी बराबर काम करती नहीं दिखती।

फिर, श्रम स्तरों के क्रियान्वयन हेतु बनाये हुए कानून को उदारीकरण के नाम पर जब अवहेलना की जाती है तब सामाजिक सामाजिक-रक्षण की व्यवस्था की खास जरूरत रहती है। अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में सामाजिक रक्षण में निम्न मुद्दों का समावेश किया जाए:

(1) मानव पूंजी में होने वाले पूंजी-निवेश का रक्षण करना: जो छोटे छोटे धंधे करते हैं उनके स्वास्थ्य के समक्ष उत्पन्न जोखिम अल्प और लंबी अवधि में उनकी आमदनी की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है। अत: स्वास्थ्य हेतु रक्षण प्रदान करने को इसे मानव पूंजी में होने वाला निवेश कहा जाएगा।

(2) भौतिक पूंजी में होने वाले पूंजी निवेश का रक्षण करना: धंधे के लिए जरूरी भौतिक सम्पत्ति को बार-बार नुकसान पहुंचता है और उसकी वजह से आमदनी खोने का खतरा अधिक रहता है। प्राकृतिक एवं मानव सृजित विपदाओं के कारण असंगठित क्षेत्रों को ऐसा नुकसान होता ही है। तब उसके लिए रक्षण प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है।

(3) न्यूनतम आमदनी का भरोसा: न्यूनतम वेतन संबंधी कानून होते ही हैं, पर असंगठित क्षेत्र में ऐसे कानून नहीं होते अथवा होते हैं तो उनका पालन नहीं होता। फिर, जो अपना धंधा चलाकर स्वरोजगार करते हैं, उनके लिए आमदनी की सुरक्षा का जोखिम रहता ही है और तब उनको सामाजिक

सामाजिक रक्षण के पीछे निहित तर्क

सामाजिक रक्षण की नीतियां राज्य को निर्मित करना चाहिए और उनका क्रियान्वयन करना चाहिए। इसके पीछे मुख्य तर्क निम्नानुसार है:

(1) सुधार कार्यक्रमों के लिए उससे सामाजिक सम्बल मिल जाता है।

(2) वह सामाजिक न्याय एवं समता को प्रोत्साहन देता है और आर्थिक वृद्धि को अधिक सक्षम और समतापूर्ण बनाता है।

(3) जो लोग श्रम बाजार से बाहर हैं अथवा सुरक्षित जीवन निर्वाह हेतु जिनके पास मिल्कियत नहीं या अपर्याप्त है, उन्हें नीति विषयक संबल मिल जाता है।

(4) सभी नागरिकों को आर्थिक खतरे सहित अन्य खतरों के समक्ष रक्षण प्रदान करता है।

(5) यह सभी के लिए आधारभूत स्वीकृत जीवन निर्वाह के स्तर सुनिश्चित करता है।

(6) गरीब परिवारों तथा समुदाय के लिए मानव पूंजी में निवेश करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

(7) सामाजिक संवादित, एकता व स्थिरता को वह प्रोत्साहन देता है।

(8) जीवन निर्वाह की सुरक्षा बढ़ाने वाली परंपरागत व अनौपचारिक व्यवस्थाओं का प्रभाव यदि घटे तो उसके बदले में यह काम देता है।

(9) मानवीय पूंजी के विकास हेतु और बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराने हेतु यह सुनिश्चित करता है कि जरूरी बुनियादी सेवाएं सभी को प्राप्त हो।

सहायता प्रदान करने की चुनौती खड़ी होती है।

(4) आमदनी में होने वाले बदलाव को रोकना: अनौपचारिक क्षेत्र में बेकारी का विशेष जोखिम होता है और उससे आमदनी की असुरक्षा का खतरा भी विशेष रहता है। जब भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को हानि पहुंचती है अथवा बाजार संबंधी जोखम और अनिश्चितता बढ़ती है, तब आयसृजन की प्रवृत्ति में बाधा पहुंचती है। ऐसे समय में सामाजिक रक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

(5) वृद्धावस्था में सुरक्षा: वृद्धावस्था के कारण जब असंगठित क्षेत्र के लोग काम कर पाने में में स्थिति में नहीं रहते, तब उनके गरीबी में गर्क होने की आशंका अधिक रहती है। अत: निजी बचत या बीमा योजनाओं द्वारा सुरक्षा का भरोसा देने की जरूरत रहती है।

सामाजिक रक्षण का अर्थ

सामाजिक रक्षण का अर्थ साधारण तौर पर असहायता, जोखिम और वंचितता के विविध स्तरों की प्रतिक्रिया में उठाये गए सार्वजनिक कदम हैं, जहां ये स्तर राजनीतिक दृष्टि से या सामाजिक रूप से स्वीकार होते हैं। इस प्रकार सामाजिक रक्षण सबसे गरीब लोगों की सम्पूर्ण वंचितता और असहायता दोनों का सामना करता है। इसके उपरांत, जो गरीब नहीं हैं, उन्हें उनके जीवन में अलग-अलग घटनाओं को संदर्भ में जो आघात झेलने पड़ते हैं, उनकी सुरक्षा संबंधी जरूरत को भी यह पूरा करता है। यह प्रतिक्रिया 'सार्वजनिक' है, इसका अर्थ यह है कि यह सरकारी या गैर सरकारी हो सकता है, अथवा इन दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं के संयोजन का भी इसमे समावेश हो सकता है।

सामाजिक रक्षण तीन तरह से आर्थिक सुख की ओर ले जाता है:

(1) वह सुरक्षा बढ़ाता है, कारण यह कि उससे परिवारों और समुदायों को आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्यपरक अथवा अन्य आघातों के संदर्भों में अपने जीवन निर्वाह को बनाये रखने हेतु मदद मिलती है। साथ ही, ऐसे आघातों को कम करने में भी मदद देता है।

(2) वह समानता लाने में भी योगदान देता है। इस हेतु उसमें दो बातें हैं: (क) सभी परिवारों को अपने बालकों को आधारभूत शिक्षण देने का अवसर मिले, पर्याप्त जीवन निर्वाह दिलाने के लिए और प्रोत्साहन देता है। साथ ही वह मानव विकास हेतु जरूरी स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर सहेजने में मदद करता है। (ख) सबसे गरीब लोगों के उपयोग और जीवन निर्वाह का स्तर ऊपर लाता है।

(3) वह वृद्धि को भी तीन तरह से प्रोत्साहन देता है। (क) बुनियादी मानव विकास के लिए तमाम परिवारों के पास जरूरी संसाधन उत्पन्न करता है ताकि वे कुशल व उत्पादक

श्रमिक बनते हैं। (ख) सामाजिक एकता के मूल्यों का दृढ़ीकरण होता है और इस तरह लंबी अवधि के आर्थिक विकास हेतु जरूरी सामाजिक संवादिता उत्पन्न करता है। (ग) उससे ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है जिसमें यह व्यूहरचना टूटे तो विपदा आने के भय के बगैर व्यक्ति और परिवार जीवन निर्वाह बदल सकते हैं और उसे स्वीकार कर सकते हैं।

इस संदर्भ में चाहिए तो, सामाजिक रक्षण याने ऐसी नीतियां व कार्यक्रम जो असहाय समूहों को जोखिम रोकने में, घटाने में और उनका मुकाबला करने में सशक्त बनाता है। ये नीतियां व कार्यक्रम

(1) असहाय समूहों को लक्ष्यांक बनाते हैं।

(2) नकद या वस्तु के रूप में असहाय समूहों की मदद करते हैं।

(3) ऐसी प्रवृत्तियां नहीं हैं जो सामान्यतया ग्राम विकास, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, स्वास्थ्य व शिक्षण के साथ जुड़ी हों।

विशेष रूप से एशिया के देशों में सामाजिक रक्षण (सोशियल प्रोटेक्शन) शब्दों का उपयोग नहीं होता, वर्‌न सामाजिक सुरक्षा (सोशियल सिक्युरिटी), सामाजिक कल्याण (सोशियल वेल्फेयर) और सामाजिक सुरक्षा जाल (सोशियल सेफ्टी नेट) जैसे शब्द व्यवहार में आते हैं।

सामाजिक रक्षण के विभिन्न अभिगम

(1) एशियन डेवलपमेन्ट बैंक (एडीबी)

- श्रम बाजार को सक्षम व प्रभावी बनाना।
- कृषि या श्रम बाजार में उत्पन्न होने वाले जोखिमों के समक्ष व्यक्तियों को रक्षण देना या।
- बाजार व्यक्तियों को सम्बल देने में विफल रहे, तब उन्हें सहारा देना।

(2) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

- परिवारों व व्यक्तियों को लाभ प्रदान करना।
- ये लाभ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक या सामूहिक व्यवस्था करना।
- निम्न या घटते जीवन स्तर के समक्ष रक्षण प्रदान करना।

सामाजिक रक्षण के कार्यक्रम

सामान्यतया गरीबों, वंचितों एवं असहाय लोगों को सामाजिक रक्षण प्रदान करने हेतु भारत में जो कार्यक्रम अमल में लाये जाते हैं वे निम्नानुसार हैं:

1. श्रम बाजार से संबंधित कार्यक्रम

- रोजगार सर्जन के कार्यक्रम
- रोजगार विनिमय कार्यक्रम एवं रोजगार हेतु अन्य सेवाएं
- कौशल विकास प्रशिक्षण
- मजदूर कानून, जिनमें न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से आदि तय किये जाते हैं।

2. सामाजिक बीमा के कार्यक्रम

- बेकारी, बीमारी, मातृत्व, विकलांगता, औद्योगिक दुर्घटनाओं और चोट और वृद्धावस्था से जुड़े जोखिमों से रक्षण।
- स्वास्थ्य बीमा

3. सामाजिक सहायता व कल्याण कार्यक्रम

- विकलांगों, निःसहायों, आपदाग्रस्तों व अन्य असहाय समूहों को लक्ष्य में रखकर दी जाने वाली कल्याणपरक या सामाजिक सेवाएं।
- नगद या वस्तु के रूप में दी जाने वाली सहायता, जिसमें सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, पेंशन या सब्सिडी का समावेश हो।
- सेवाओं या आवास आदि हेतु देय काम चलाऊ सब्सिडी।

4. लघु योजनाएं या विस्तार पर आधारित योजनाएं

- लघु बीमा • लघु ऋण
- कृषि क्षेत्र में फसल बीमा या अन्य बीमा
- विपत्ति के मुकाबिले की तैयारी और आपदा संचालन

5. बाल रक्षण

- बाल अधिकारों संबंधी जागृति कार्यक्रम व हिमायत
- बालकों के यौन शोषण के विरुद्ध रक्षण कार्यक्रम
- बाल मजदूरी का विरोध
- बालकों के प्रारंभिक विकास की प्रवृत्तियां
- छात्रवृत्ति, फीस माफी, शाला-भोजन व्यवस्था जैसी शिक्षण-सहायता
- बालकों को स्वास्थ्य-सहायता
- परिवारों को बालकों हेतु सहायता तथा कराधान में राहत
- भटकते, अनाथ व मजदूर बालकों हेतु कार्यक्रम

राज्य से भिन्न संस्थाओं द्वारा सामाजिक रक्षण का अनुभव

विकासशील देशों में राज्य से भिन्न संस्थानों द्वारा सामाजिक रक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। वे संस्थाएं इस प्रकार हैं:

1. **सामुदायिक संस्थाएं:** भारत में जातियां एक समूह के रूप में काम करती हैं। अनेक जातियों के मंडल अपनी जातिवालों को सामाजिक रक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं। यह व्यवस्था स्वैच्छिक रूप से प्राप्त दान में से की जाती है। सामान्यतया जातियों को विभाजक परिबल के रूप में जाना जाता है। परंतु यही जातियां संगठित रूप से अपने जातिबांधवों हेतु शिक्षण, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, नगद या वस्तु रूप में सहायता और बीमा जैसी सुविधाएं प्रदान करने में अग्रणी होती हैं।
2. **पारिवारिक व्यवस्था:** भारत में परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार के सदस्यों व सगे-संबंधियों को सामाजिक रक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करता है। यह एक सांस्कृतिक विरासत है और यह कौटुंबिक सुरक्षा तो प्रदान करती ही है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा भी देती है।
3. **धार्मिक संस्थाएं:** अनेक समाजों में धार्मिक संस्थाएं गरीबों व वंचितों को सामाजिक रक्षण प्रदान करने की व्यवस्था लगभग बिन मूल्य अथवा बहुत कम शुल्क लेकर किया करती है। इन संस्थाओं के पीछे धार्मिक मूल्य काम करते हैं कि जो कल्याण परक भावना से चलती हैं। दया, दान, उदारता और सहायता के धार्मिक मूल्य इन संस्थाओं को जीवंत रखते हैं। ये संस्थाएं कई बार धार्मिक रीति-रिवाजों और सीमाबंधी से बाहर नहीं भी आती। परंतु अपने धर्म के अंदर ये संस्थाएं बहुत सक्रिय होती हैं। विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के समय सामाजिक रक्षण प्रदान करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
4. **पारस्परिक सहायता व दानशीलता:** स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दानशील संस्थाएं सामाजिक रक्षण प्रदान करने हेतु सेवाएं देती हैं। वे समाज से दान लेकर यह प्रवृत्ति करती हैं। उसमें कल्याणपरक विचार तो है ही, परंतु साथ ही साथ उसमें सशक्तिकरण की भूमिका भी हाल में महत्वपूर्ण समझी जाती है। सबसे गरीब को सहायता देने में ये संस्थाएं आपस में सहायता करती हैं।

- बुनियादी जोखिमों के विरुद्ध और बुनियादी जरूरतें पूरी करने हेतु रक्षण प्रदान करना।

(3) विश्व बैंक

- मानवीय पूंजीपरक सार्वजनिक मध्यस्थता करना।
- व्यक्ति, परिवार व समुदाय स्वयं जोखिमों का उत्तम रीति से संचालन करने के लिए उनकी मदद करना।
- अक्षम गरीबों को सहारा प्रदान करना।

सामाजिक रक्षण की नीतियों व कार्यक्रमों के सिद्धांत

सामाजिक रक्षण विषयक नीतियों व कार्यक्रमों को निम्न सिद्धांतों का अनुसरण करने वाला होना चाहिए।

(1) जिनको लाभ प्रदान करने हेतु ये नीतियां व कार्यक्रम हैं, उनके जीवन निर्वाह की जरूरतों, वास्तविकताओं एवं स्थितियों के प्रति वे जवाबदेह हों।

(2) सरकार के बजट में वे लंबी एवं कम अवधि में पोसाने जैसे हों। अर्थात् वे परिवारों व समुदायों पर गैरजरूरी बोझ लादने वाले न हों उस तरह से बजट बनाया जाए।

(3) आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से वे स्थायी हो। सरकार की सामाजिक रक्षण की भूमिका ऐसी हों कि जिसमें सबसे गरीब लोगों को सहायता मिले।

(4) सरकार के तंत्र स्थायी हों और उनमें संस्थागत रीति से सामाजिक रक्षण को मुख्य प्रवाह में लाया गया हो।

(5) व्यक्तियों, परिवारों तथा समुदायों की क्षमताओं का उपयोग हो और अवलंबन कलंक न लगे।

(6) तेज़ी से बदलती परिस्थिति के साथ वह मेल खाने वाला हो और नयी चुनौतियों को स्वीकार करने वाला हो। सबसे गरीब लोगों के जीवन में बदलती रहने वाली मांगों को सम्बल देने वाला हो।

सामाजिक रक्षण, विकास की प्रक्रिया और गरीबी में कमी

विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने में प्रभावी सामाजिक रक्षण की नीति की भूमिका महत्वपूर्ण है। सामाजिक रक्षण की नीति से सामाजिक संवादिता, मानव विकास और जीवन निर्वाह सुदृढ़ हो सकता है। इस तरह वह विस्तृत एवं समतापूर्ण वृद्धि को हासिल

करने में मददगार होता है। उससे प्रभावी व उत्तरदायी शासन मजबूत होता है। यह लोक-स्वीकृति आय व क्षमता द्वारा होती है, क्योंकि उसके बिना सामाजिक रक्षण की नीति प्रभावी नहीं बन सकती। यह बात इसके साथ वाले आलेख में समझाई गई है। प्रभावी सामाजिक रक्षण की नीति बनाने में नीति विषय प्राथमिकताएं निम्नानुसार होनी चाहिए:

1. लाभार्थी समूहों की जरूरतों, वास्तवकिताओं और प्राथमिकताओं से सामाजिक रक्षण की नीति का शुभारंभ होना चाहिए। गरीबों की जरूरतों पर ध्यान दिया जाए। इस हेतु अनेक प्रकार के नीतिविषयक और कार्यक्रमलक्ष्यी परिबल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनमें शासन, पारदर्शिता व सूचना का महत्व विशेष है। सरकार के लिए उसमें महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं इस प्रकार रहें:

- गरीबी और वंचितता के मुद्दे पर सूचना का आधार स्थापित हो। सार्वजनिक चर्चा शुरू हो, इसके लिए इस सूचना को प्रभावी रूप से प्रसारित किया जाए।
- नागरिकों के विविध समूहों और संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श करके और अधिकारों के विषय में सर्वसम्मति बनाई जाए। उसे पूरा करने में सरकार की जो भूमिका रहेगी उस बारे में भी सर्वसम्मति बनाई जाए।

2. सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर जो विविध संस्थाएं सामाजिक रक्षण प्रदान करने हेतु काम करती हैं उन्हें भी ध्यान में रखा जाए। उनकी शक्ति का श्रेष्ठ उपयोग करने के बारे में राज्य को उस बारे में उचित नीति बनानी चाहिए। सरकार की प्राथमिकताओं में इस विषय का समावेश हो।

- राज्य से भिन्न संस्थाओं तथा व्यवहारों के विषय में पर्याप्त समझ विकसित करना, जो गरीबों को बीमा और सहायता प्रदान करते हैं।
- स्थानीय स्तर के उन समूहों को सहायता देना जो गरीबों के जीवन निर्वाह की सुरक्षा बढ़ाते हैं। ये समूह समाज के लोगों के विविध समूहों पर भी ध्यान देते हैं। एसे स्थानीय समूहों में बचत ऋण समूहों, अनौपचारिक बीमा समूहों और पारस्परिक सहायता समूहों, सार्वजनिक सम्पत्ति संसाधनों का संचालन करने वाले समूहों आदि का समावेश होता है।

सामाजिक रक्षण: समग्र जीवन के लिए निवेश

मनुष्य अपने जीवन के दौरान अनेक प्रकार के संकटों का सामना करता है । ये संकट स्थिर नहीं रहते, वरन बदलते रहते हैं। ऐसी कोई उम्र नहीं होती कि जब संकट न हों। ऐसे में सामाजिक रक्षण जरूरी है। जीवन के अलग-अलग चरणों में सामाजिक रक्षण विषयक नीतियां उनके उन संकटों में प्रभाव डालते ही हैं। अत: सामाजिक रक्षण हेतु पूंजी निवेश एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें निम्न प्रश्न पूछकर सामाजिक रक्षण हेतु व्यवस्था करनी पड़ेगी:

1. एक गरीब मजदूर जो जीवन जीता है उससे भिन्न जीवन एक शोषित बाल मजदूर कैसे जी सकता है?
2. स्थानांतरित मजदूरों की गरीबी कैसे दूर हो सकेगी और वे पीछे न धकेल दिए जाएं, ऐसा किस तरह संभव है?
3. जन्म से या अन्य तरह से विकलांग बने लोगों की गरीबी का निवारण किस तरह हो सकेगा?
4. गरीब व्यक्ति कम बीमार पड़े, ऐसी उम्मीद कैसे रखी जा सकती है? और गंभीर बीमार व्यक्ति फिर से गरीबी में गर्क न हो जाए, यह कैसे किया जा सकता है?
5. एड्स अथवा अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति एक तरफ धकेल न दिया जाए और उपेक्षित न हो, यह कैसे किया जा सकता है?
6. वृद्ध या अशक्त व्यक्ति अपने सगे-संबंधियों हेतु बहुत बड़ा बोझ बने बिना कैसे जी सकता है?
7. गरीब मजदूर गरीबी के चक्र को तोड़कर किस तरह बाहर जा सकते हैं? उसमें परिस्थिति का उचित रीति से विश्लेषण किस तरह हो और वास्तविक तथा प्रभावी समाधान किस तरह संभव है?
8. सबसे अधिक अवसर से वंचित लोगों को सामाजिक रक्षण किस तरह मिल सकता है? उन्हें आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं मिलें और उनकी सुषुप्त शक्तियों का विकास हो, यह कैसे संभव है?

3. सामाजिक रक्षण संबंधी सार्वजनिक नीति में गरीबों पर नकारात्मक असर डालने वाले आघातों को रोकने हेतु कदम उठाने हैं। यथा-व्यापार विषयक उचित नीति या समग्र अर्थतंत्र विषयक नीति, बाढ़ आदि से रक्षण, महामारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य देखभाल। इसके अलावा, ऐसे उपाय करने हैं कि जो इन आघातों का असर कम करें। जैसे गरीबों के लिए कमाई के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना। फिर, ऐसे उपाय भी राज्य को करने हैं कि जिन पर आघात हुआ है उन प्रभावित लोगों की मदद हो सके।

4. सरकार की नीति सर्वाधिक गरीब लोगों की मदद करे यह एक प्राथमिकता है। जिन्हें विशेष सहायता की जरूरत है, ऐसे समूहों को पहचानना और उनकी जरूरतों पर ध्यान देने हेतु उचित नीति बनाना एक बड़ी चुनौती है। इस हेतु निम्न विविध चुनौतियों का सामना करना होगा:

- सर्वाधिक गरीब और सर्वाधिक असहाय लोगों की पहचान करना, जिन्हें सहायता दी जा सके।
- जो सबसे कमजोर हैं, वे अपनी मांगे, जरूरतें, अधिकार और चिंताएं व्यक्त करें, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए राज्य अपने तंत्र को मजबूत करे।
- सबसे गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समूहों की क्षमता बढ़ाना ताकि सेवाएं प्रदान करने वालों को उत्तरदायी ठहराया जा सके।
- सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं की क्षमता बढाना और उसमें पारदर्शिता लाना ताकि लक्षित समूहों तक वे सेवाएं पहुंचें।

गरीबों को नगद राशि देने की विचारणा

भारत में गरीबों को सामाजिक रक्षण देने के संदर्भ में लगभग छः दशकों से भी अधिक समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम कर रही है। इस प्रणाली के तहत गरीबों को कम भाव में अनाज, दालें, तेल, चीनी व केरोसिन प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम पर सरकार करोड़ों रुपयों की सब्सिडी का खर्च करती है, परंतु यह कार्यक्रम जितना होना चाहिए उतनी मात्रा में सफल नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, भारत में अब सरकार गरीबों को सामाजिक रक्षण प्रदान करने के प्रयास स्वरूप लाभार्थियों को सीधे ही पैसे देने की बात सोच रही है।

वास्तव में, कुछ राज्यों में ऐसी योजनाएं हैं, जहां नगद राशि का उपयोग गरीबों को प्रोत्साहन देने हेतु किया जाता है। सशर्त नगद अंतरण (कंडीशनल केश ट्रांसफर) के अधीन परिवारों को ऐसी शर्त पर नगद राशि दी जाती है कि वे अपने बच्चों को शाला भेजेंगे। सरकार ने विकास के लिए अपनी कार्यनीति बदलने हेतु निम्न कारण दिए हैं:

1. विकासपरक कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे, उसमें बहुत खर्च होता है।
2. जिन्हें वास्तव में लाभार्थी होना चाहिए, उन तक लाभ नहीं पहुंचता।
3. विकास परक कार्यक्रमों का असर लंबे समय तक नहीं रहता। यथा-भारत में गरीबों की संख्या विगत तीन दशकों से लगभग यथावत रही है।

सब्सिडी का भार

अनाज और खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी केंद्र सरकार की सब्सिडी में बहुत बड़ी है अतः इन दो क्षेत्रों में भारत सरकार सशर्त नगद राशि अंतरण पद्धति लागू करने की बात सोच रही है। भारी सब्सिडी के कारण सार्वजनिरक वितरण प्रणाली में जबर्दस्त लूट होती है। अंत्योदय अन्न योजना के अधीन गरीब परिवारों को 200 रु. का अनाज देने के पीछे 1544 रु. खर्च करती है। नगद राशि वितरित करने की पद्धति में यह हो सकता है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में अनाज का भाव कदाचित् बाजार भाव रखा जाए उनका अनाज अन्यत्र चला जाए। सरकार तो मात्र सब्सिडी जितनी हो नगद राशि गरीबों को दे। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसमें स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड पर रोकड़ राशि मिलेगी। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार होता है, उसका यह एक उपाय समझा गया है। योजना आयोग ने नगद स्थानांतर पद्धति के संबंध में एक रूपरेखा तैयार की है। उसमें ऐसा तर्क दिया गया है कि "भारत में अलक्ष्यांकित अथवा गलत रीति से लक्ष्यांकित सब्सिडी का लंबा इतिहास है। उसे बदलने की जरूरत

सामाजिक रक्षण के साधन के रूप में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य द्वारा काम का अधिकार देने की अपेक्षा व्यक्त की गई थी। परंतु राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार राज्य व्यवहार करें ही, ऐसा जिम्मा संविधान नहीं देता। इस वजह से भारत में काम का अधिकार प्रस्थापित नहीं हुआ था।

सामान्यतया भारत में विगत 20 वर्षों के दौरान लगभग 7 से 9 प्रतिशत बेकारी की दर रही है और बेकार लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए असहाय होते हैं। विशेष रूप से आर्थिक मंदी की दशा में बेकारी की दर ऊंची होती है। ऐसे समय रोजगार हेतु की जरूरत पैदा होती है, जो बड़ी मात्रा में सामाजिक रक्षण उत्पन्न करता है।

देश के ग्रामीण व शहरी अंचलों में बेकारी दूर करने के लिए तथा रोजगार सृजित करने के लिए समय-समय पर भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं बनाई थीं। उनमें जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और इनके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं का समावेश था। उनमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगभग 35 वर्ष पूर्व रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। जो रोजगार हेतु गारंटी देती थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इन योजनाओं का एक विस्तृत स्वरूप है। 2005 में अमल में लाई गई यह योजना ग्रामीण इलाकों में रोजगार सर्जन हेतु गारंटी देती है। यह रोजगार सर्जन की पहली ऐसी योजना है जो कानून द्वारा अस्तित्व में आई है। इस तरह इस कानून ने काम के अधिकार को संवैधानिक मूलभूत अधिकार नहीं, वरन कानूनी अधिकार के रूप में प्रस्थापित किया है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार हैं और शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं और जो काम की मांग करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा 100 दिनों का रोजगार देने का भरोसा दिया गया है। यदि सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो उसे कानून द्वारा बेकारी भत्ता देने का विश्वास दिया गया है। इस प्रकार रोजगार का रक्षण उत्पन्न हुआ है, जो सामाजिक रक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है।

रोजगार के रक्षण से आय और व्यय का स्तर ऊपर जाना स्वाभाविक है। परिणामतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ता है तो स्थलांतरण कम होता है। यह इसी से निकला परोक्ष परिणाम है। राष्ट्रीय ग्रामीण गांरटी योजना का अमल स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा कराने की व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से ग्राम सभा काम का आयोजन करती है और काम को मंजूरी देती है। अतः सामाजिक रक्षण हेतु मुख्य उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं पर आ पड़ा है, ऐसा निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यस्थल पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं मूलभूत रूप से सामाजिक रक्षण प्रदान करती हैं। इसके अलावा 2011-12 से इस योजना के अधीन काम करने वाले मजदूरों को दिया जाने वाला वेतन भावों की वृद्धि के साथ जोड़ा गया है। इस प्रकार वास्तविक वेतन का सामाजिक रक्षण इस योजना के अधीन प्रदान किया गया है, जो भारत सरकार या राज्य सरकारों की पहले वाली रोजगार सर्जन योजनाओं का लक्षण नहीं था।

योजना के क्रियान्वयन के चरण

• अकुशल मजदूरी करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार पंजीकरण हेतु अर्जी दें। • उम्र एवं आवास के विवरण की जांच के बाद ग्राम पंचायत 15 दिनों में जोबकार्ड दें। • मजदूर काम करने की मांग करते हैं। ग्राम पंचायतें उसकी रसीद देती हैं। काम की जरूरत है, ऐसे हर बार काम की मांग करनी पड़ती है। • ग्राम पंचायत 15 दिनों के अंदर काम प्रदान करती है। • काम का मूल्यांकन करने के बाद 15 दिनों में वेतन भुगतान होता है। • ग्राम सभा काम और उसकी प्राथमिकता सूचित करती है। • इन सलाहों के आधार पर ग्राम पंचायत आयोजन करती है। • ग्राम पंचायतों की योजनाएं इकट्ठी करके तथा जिले व तहसील स्तर पर योजना बनाकर तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति वाले कामों की सूची तैयार होती है। • स्वीकृत कामों की ग्राम पंचायत को सूचना दी जाती है।

है। खास तौर पर उसका कारण यह है कि इन सब्सिडियों को राजकोषीय बोझ 2008 के बाद की आर्थिक आपात स्थिति के बाद अनेक प्रोत्साहन पैकेज देने से असहनीय बन गया है।"

पांच कार्यक्रमों का आवरण

योजना आयोग हेतु तैयार किए गए अध्ययन पत्र में सशर्त नगद अंतरण में पांच कार्यक्रमों के लिए सुझाव दिए गए हैं। उसमें बीपीएल परिवारों को न्यूनतम आय की गारंटी हेतु तथा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अधीन प्रदत्त अनाज के बजाय नगद राशि देने का प्रस्ताव है। इसके उपरांत, समन्वित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के बदले भी नगद राशि देने की योजना का अनुरोध उसमें हैं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हेतु नगद अंतरित करने का दबाव अन्न और सार्वजनिक वितरण विभाग की और से आया था। इस मंत्रालय ने प्रायोगिक स्तर पर इसे क्रियान्वित करने के लिए 242 करोड़ रु. का अनुदान वित्त मंत्रालय से मांगा था। 2009-10 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी प्रायोगिक स्तर पर ऐसी योजना के क्रियान्वयन का अनुरोध किया गया था। इस योजना के तहत लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मिलने वाले अनाज के कूपन मिलें। लोग उनका उपयोग खुले बाजार से अनाज खरीदने हेतु करें। फिर दुकानदार किसी भी बैंक में जाकर उन कूपन से नगद राशि ले लें। एक बार इसका क्रियान्वयन होने लगेगा तो फिर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

अल्प प्रशासनिक व्यय की धारणा

सरकार को यह लगता है कि इसकी वजह से प्रशासनिक व्यय बहुत कम होगा और ज्यादा अच्छी तरह से गरीबों तक पहुंचा जा सकेगा। गत वर्ष संसद की इस मंत्रालय की स्थायी समितियों ने वित्त मंत्रालय से इस नगद अंतरण के बारे में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया था। बाद में सितंबर 2010 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने इस अनुरोध को अच्छा बताते हुए हस्ताक्षर कर दिए। इसके अलावा, कृषि मंत्रालय भी इसमें कूद पड़ा। उसने जो अन्न सुरक्षा अधिनियम बन रहा है उसमें गरीबों को दिये जाने वाले अनाज के बदले कुछ भाग नगद राशि देने का अनुरोध किया है। उसने अकाल व बाढ़ के समय ऐसा फंड निर्मित करने की भी सिफारिश की है। कृषि मंत्रालय ने यह भी बताया है कि यदि अनाज की कमी हो और सरकार सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा अनाज न दे सके तो गरीबों की नगद राशि प्रदान की जाए। इस समय जो आधार कार्यक्रम चल रहा है उसे जादुई फॉर्मूला बताया जा रहा है। उसमें व्यक्तियों को इलेक्ट्रानिक कार्ड मिलेगा और उसमें उनके उंगलियों के निशान भी होंगे, अतः नकल नहीं हो सकेगी। हालांकि इस कार्ड से अपने आप बीपीएल सूची में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। बीपीएल सूची तो सर्वे पारिवारिक करके ही तैयार की जाएगी। यह सूची विश्वसनीय नहीं है, उसी से वास्तविक गरीबों तक सामाजिक विकास की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। यह बताया गया है कि 'आधार' के द्वारा ये लाभ निश्चित रूप से पहुंचेंगे।

मुद्रा स्फीति के प्रभाव की उपेक्षा

योजना आयोग के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज के भाव और बाजार भाव के बीच का अंतर ही योजना का खर्च होता है। उसमें प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 8.5 रु. और पांच व्यक्तियों के प्रति परिवार का मासिक खर्च 42.50 रु. का अनुमान किया गया है। इस समय राज्य में सब्सिडी अलग-अलग है। एक अध्ययन के अनुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हेतु सरकार जो खर्च करती है वह पात्र परिवारों को नगद राशि के रूप में दिया जाए तो प्रति परिवार 5 रु. मिलेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि नगद राशि देने की योजना में मुद्रा स्फीति को ध्यान में नहीं रखा जाता। आज की व्यवस्था में मुद्रा स्फीति कोई प्रभावी परिबल है ही नहीं, गरीब परिवारों को निर्धारित अनाज मिलता ही है। फिर भले ही उसका बाजार भाव जो भी हो। गरीबों को वस्तुओं या सेवाओं के बदले मदद के रूप में नगद राशि देने की सरकार की नीति इस तरह पूर्णतया सफल होगी ही। ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस नीति को सफल बनाने हेतु मूलभूत रूप से आर्थिक क्षमता और ढांचागत व्यवस्था की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. वर्किंग पेपर 143, फरवरी 2001, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, 111, वेस्टमिन्स्टर ब्रिज रोड, लंदन, यूके।
2. डिस्कशन पेपर 0130, सामाजिक रक्षण इकाई, मानव विकास नेटवर्क, विश्व बैंक।
3. सोशियल प्रोटेक्शन, नवंबर 2003, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिनेवा।
4. डिस्कशन पेपर 0006, सामाजिक रक्षण इकाई, मानव विकास नेटवर्क, विश्व बैंक।

सामाजिक उत्तरदायित्व का व्यवहार और चुनौतियां

सरकार और उसकी तमाम संस्थाओं को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में विविध निगरानी और देखरेख तंत्र निर्मित किये जाते हैं। जब वे काम नहीं करते तो नागरिक स्वयं इस तरह की व्यवस्था निर्मित करते हैं और सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु प्रयत्न करते हैं। इस तरह लोकतंत्र में जो कमी है उसे पूरी करने हेतु प्रयास होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के विविध साधनों के विषय में सूचना देकर उन्नति की **सुश्री एलिस मोरिस** और **श्री हेमंतकुमार शाह** इस लेख में वर्तमान संदर्भ में सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व समझाते हैं।

प्रस्तावना

सरकार, कंपनियों और नागरिक समाज में उत्तरदायित्व पैदा करने के लिए विविध तंत्र विकसित किए जाते हैं। परंतु इन संस्थाओं और लोगों के बीच अंतर बढ़ता जाता है। लोग मतदान में हिस्सा नहीं लेते, इसका एक कारण यह है कि लोगों को अपने नेताओं में विश्वास नहीं रहा। वास्तव में यह लोकतंत्र की कमी है। इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र की औपचारिक व्यवस्थाएं लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।

दूसरी तरफ कंपनियां अब अपनी सामाजिक जिम्मेदारी अधिक गंभीरता से अदा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। नागरिक समाज के प्रति लोगों का बहुत गहरा भरोसा है। अत: समाज सेवी संस्था के रूप में राज्य को लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने की मांग नागरिक समाज उत्तरोत्तर कर रहा है।

इन परिस्थितियों में उत्तरदायित्व सिर्फ नैतिक संदर्भ में नहीं वरन् संस्थागत स्वरूप में भी महत्वपूर्ण बन जाता है। जो कार्य राज्य द्वारा किए जाएं और जिन स्तरों के अनुसार वे कार्य किए जाएं, वे दोनों समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हों, यह सही उत्तरदायित्व है। इस संदर्भ में हाल ही में भारत में जन लोकपाल विधेयक को लेकर आंदोलन हुआ, उस पर गौर करने की जरूरत है। नागरिक समाज ने सरकार से उत्तरदायित्व मांगा और उत्तरदायित्व निर्मित करने के लिए कानूनी व्यवस्था काम करे, ऐसी मांग की।

नागरिक समाज में उत्तरदायित्व का महत्व समझने के लिए नागरिक समाज की भूमिका समझना अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तम समाज के लिए सुशासन जरूरी है। नागरिक समाज का यह अनिवार्य हिस्सा है, इसीलिए नागरिकों के नाते वे सरकार से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि सरकार के कार्य उसके लिए लाभदायी हों। सरकारी अधिकारी और राजनीतिक नेता नीचे से लेकर ठेठ ऊपर तक आर्थिक या अन्य विधि से भ्रष्ट न बनें और यदि बनते हैं तो उन्हें सजा देने के लिए जो व्यवस्थाएं स्वयं राज्य द्वारा निर्मित की गई है, वे भी सही ढंग से काम नहीं करतीं। अत: नागरिकों में हताशा उत्पन्न हो गई है। इन संदर्भों में राज्य को अधिक उत्तरदायी बनाने की जरूरत है।

सुशासन में सहभागिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावोत्पादकता, कानून के शासन की पालना और लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेही का समावेश होता है। वैसे, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शासन की बड़ी समस्याएं हैं। सार्वजनिक सेवाओं की प्राप्ति में अभाव है और गरीबों को लाभ नहीं मिलता। गरीबों, पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं की जरूरतों का प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता या फिर उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। सेवाओं की आवश्यक सामग्री सक्षमता से व समावेशी रीति से प्रदान की जाए, इसके लिए किसी देखरेख की व्यवस्था ही नही है। भद्र वर्ग का छोटा-सा समूह संसाधन पचा जाता है और परिणामस्वरूप इन संसाधनों से परिणाम नहीं निकलते। संसाधन सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं या उपयोगकर्ताओं तक नहीं पहुंचते। खर्च में वृद्धि होने से समस्याओं का समाधान हो जाना जरूरी नहीं है।

योजना कमजोर होती है और बजट के आवंटन के सवाल खड़े होते हैं क्योंकि सरकार गलत वस्तुओं और गलत समूहों हेतु बजट

लोकपाल विधेयक : सरकार और नागरिक समाज के बीच का विवाद

भ्रष्टाचारी अधिकारियों और राजनेताओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने हेतु लोकपाल विधेयक जल्दी ही आ रहा है। लोकपाल विधेयक के बारे में नागरिक समाज और सरकार के बीच विविध मुद्दों के बारे में जो विवाद रहा है और जो विवाद के मुद्दे रहे है उनका संक्षेप में यहां उल्लेख किया गया है।

सरकार का मंतव्य

1. लोकपाल द्वारा प्रधानमंत्री, मंत्रियों और संसद सदस्यों को ही शामिल किया जाए।
2. लोकपाल के पास स्वयं जांच करने का अधिकार न हो। वे लोगों से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों प्राप्त न करें। संसद के दोनो सदनों के अध्यक्षों द्वारा ऐसी शिकायतें लोकपाल को भेजी जाएं।
3. वह सलाहकार संस्था के रूप में काम करे। प्रधानमंत्री को सिफारिशें भेजे।
4. उसके पास कोई पुलिस सत्ता न हो। वह सिर्फ प्राथमिक जांच ही कर सके।
5. किसी की गलत शिकायत का पता लगे तो लोकपाल 1 से 3 वर्ष की कैद की सजा दे सकते हैं।
6. उसमें 3 सदस्य हों और वे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हों।
7. लोकपाल चयन हेतु सिर्फ राजनीतिक नेताओं की ही समिति हो।
8. प्रधानमंत्री के विरुद्ध सुरक्षा, रक्षा व विदेशी मामलों संबंधी विषयों के बारे में शिकायत हो तो लोकपाल उस बारे में जांच न करे।
9. जांच के लिए 6 माह से 1 वर्ष का समय दिया जाए लेकिन केस चलाने हेतु समय की सीमा न हो।
10. गलत तरीके से प्राप्त सम्पति को वापिस लौटाने की कोई व्यवस्था न हो।

नागरिक समाज का मंतव्य

1. राजनीतिज्ञों, अधिकारियों व न्यायमूर्तियों को लोकपाल नियंत्रण में ले। केंद्र सरकार के सतर्कता आयोग और उसका तंत्र लोकपाल में शामिल कर दिया जाए।
2. लोकपाल कार्रवाई कर सके, लोगों से शिकायतें ले सके उसे किसी से भी इस बारे में मंजूरी लेने की जरूरत न हो।
3. जांच करने के बाद लोकपाल शिकायत दर्ज करा सके और अनुशासन भंग की कार्यवाही कर सके।
4. लोकपाल एफआईआर दर्ज करा सके और फौजदारी कार्रवाई अधिनियम के तहत जांच कर सके और पुलिस शिकायत दर्ज करा सके।
5. गलत शिकायत पर लोकपाल सिर्फ दंड दे सके।
6. लोकपाल में 10 सदस्य हों और एक अध्यक्ष हो। उसमें सिर्फ 4 जने कानून वेत्ता हों।
7. लोकपाल चयन समिति में कानूनवेत्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल, सेना के निवृत्त जनरल और निवृत्त लोकपाल हों।
8. लोकपाल की सत्ता पर किसी तरह का नियंत्रण न हो।
9. लोकपाल 1 वर्ष में जांच कर ले और फिर1 वर्ष में केस पूरा करे।
10. भ्रष्टाचार के कारण सरकार को जो नुकसान हुआ हो, उसे दोषी व्यक्ति से वसूला जाए।

स्रोतः द टाइम्स ऑफ इंडिया, अहमदाबाद दिनांक 8.4.2011

आवंटित करती है। योजना और बजट की प्रक्रिया में सहभागिता पैदा नहीं होती और घटनाओं, प्रक्रियाओं तथा संसाधनों के संबंध में जागरूकता कम होती है। विकासपरक खर्च में महिलाओं के प्रति उत्तरदायित्व व्यक्त नहीं होता। बजट महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो और महिलाओं की जरूरतों के लिए सेवाएं प्रदान की जाएं, ऐसा भी नहीं होता।

सरकारों व संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने तथा खास तौर से विकेंद्रीकरण व स्थानीय शासन की संस्थाएं स्थापित करने के संदर्भ में नागरिक समाज हेतु मौके व अवसर बढ़ते जा रहे हैं।

साथ ही साथ अनुभव दर्शाता है कि उत्तरदायित्व की परंपरागत व्यवस्थाएं या इनके तंत्र यथा भ्रष्टाचार विरोधी आयोग, सरकारी ऑडिट समितियों, क्षेत्रीय नियमनकारी संस्थाओं, कानून व चुनाव की प्रभाविता मर्यादित है। सामान्यतया इन्हें उपयोगितापरक तंत्र कहा जाता है और इनका अभिगम ऊपर से नीचे होता है।

सुशासन में नागरिकों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व

सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसा अभिगम है कि जिसमें नागरिक कार्य पर उत्तरदायित्व आधारित रहता है। अर्थात् इसमें नागरिक या नागरिक समाज के संगठन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु शामिल होता है। इसे सरकार, निजी क्षेत्र अथवा नागरिक कर्ताओं द्वारा आरंभ किया जा सकता है।

सामाजिक उत्तरदायित्व का मूल नागरिकों की सहभागिता में हो तो वह संस्थागत अक्षमताएं दूर करने में मददगार होता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। फिर वह विकेंद्रित सुशासन को प्रोत्साहन देता है। वंचितों का समावेश करता है और नागरिकों को सक्षम बनाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व का तंत्र अनेक प्रकार के कदमों, साधनों और व्यवस्थाओं को शामिल करता है।

नागरिकों, समुदाय, नागरिक समाज के संगठनों, सरकार, निजी क्षेत्र तथा संचार माध्यमों आदि सार्वजनिक सत्ताधीशों, सरकारी अधिकारियों, नीति निर्धारकों और सेवाओं के प्रदायकों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने संबंधी इन साधनों का उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व के जिन कुछ तंत्रों या विधियों का व्यवहार में उपयोग किया गया है उनमें सहभागी बजट प्रक्रिया, सार्वजनिक व्यय की जांच, महिलाओं हेतु बजट की जांच, सार्वजनिक सेवाओं पर नागरिकों द्वारा देखरेख, नागरिकों के सलाहकार बोर्ड, सामाजिक ऑडिट, लोबिंग और हिमायत संबंधी अभियान का समावेश होता है। ये विधि मांग प्रेरित होती हैं।

इन साधनों का प्रभावी उपयोग किया जाए तो नागरिकों की आवाज खड़ी हो सकती है, निर्णय प्रक्रिया में और नीति निर्धारण में नागरिकों

राष्ट्रीय लोक सूचना अधिकार अभियान

जन लोकपाल विधेयक का मसौदा वर्तमान एवं निवृत्त लोकायुक्तों, मुख्य सतर्कता आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीशों, कानूनवेत्ताओं और सामाजिक न्याय के लिए चलने वाले जन आंदोलनों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय लोक सूचना अधिकार अभियान द्वारा तैयार किया गया था।

राष्ट्रीय लोक सूचना अधिकार अभियान मानता है कि देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने हेतु लोकपाल का सख्त कानून तात्कालिक आवश्यकता है। जन लोकपाल विधेयक का उद्देश्य तमाम सरकारी नौकरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में तुरंत जांच हो और समयबद्ध रूप से शिकायत का फैसला आए ताकि वे अपने कृत्यों के प्रति उत्तरदायी बनें। नागरिक समाज चाहता है कि घोटालों के इस मौसम में भ्रष्टाचार विरोधी सख्त कानून बनाना जरूरी है।

यह जरूरी है कि केंद्र तथा राज्यों के लोकपाल व लोकायुक्त मजबूत संस्था के रूप में काम करे। इसके लिए एक ही कानून हो। इन दोनों को भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने तथा शिकायत करने हेतु सम्पूर्ण स्वायत्तता होनी आवश्यक है। राजनेताओं के दखल के बिना लोकपाल और लोकायुक्त का चयन पारदर्शक व सहभागी रूप होना चाहिए।

की आवाज सुनाई देती है और सूचनाप्रद व संगठित कार्य हो सकते हैं। ये साधन संघर्ष ही पैदा न करें बल्कि सबके लिए अच्छी स्थिति भी उत्पन्न करें।

सामुदायिक उत्तरदात्वि के साधन

सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कुछ साधन नीचे दिए गये हैं:

1. सहभागी बजट प्रक्रिया

सहभागी बजट प्रक्रिया में नागरिक बजट की तैयारी के चक्र में शामिल होते हैं। नागरिक समाज के संगठन और उनके प्रतिनिधि बजट बनाने में और उसे तैयार करने में शामिल होते हैं। वे बजट का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करते हैं। उसमें जो बजट दस्तावेज तैयार होता है उसे सार्वजनिक जांच के लिए रख दिया जाता है। लोग उसका विश्लेषण कर सकते हैं।

सामाजिक विकास के विषय में कितना ध्यान दिया गया, खर्च किस तरह किया गया इत्यादि बातों पर ध्यान दिया जाता है। गैर सरकारी संगठन और अन्य संगठन अमुक कार्यक्रमों हेतु जो धन आवंटित किया गया है, वह उन पर खर्च हुआ या नहीं, इस पर ध्यान रखते हैं। कार्यवाही पर देखरेख रखते हैं और नागरिक समाज के समूह अंतिम परिणाम का मूल्यांकन करते हैं।

2. कार्यवाही पर देखरेख

सार्वजनिक सेवाओं और परियोजनाओं के अमल और कार्यवाही पर देखरेख रखने का काम समुदाय या नागरिक समूह करते हैं। इसके लिए निर्देशक वे स्वयं तय करते हैं। कार्यवाही पर देखरेख में सार्वजनिक हिमायत के तत्वों का भी समावेश होता है। सामान्यतया कार्यवाही पर देखरेख हेतु नागरिकों का रिपोर्ट कार्ड, सामुदायिक स्कोर बोर्ड व सामाजिक अन्वेषण जैसे साधनों का उपयोग किया जाता है।

सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा पारदर्शिता

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राज्य का पारदर्शी बनना जरूरी है। राज्य की पारदर्शिता अपने आप राज्य का उत्तरदायित्व उत्पन्न करती है । इसी से भारत में सूचना अधिकार अधिनियम बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप किसी भी नागरिक को सरकार से या सरकारी संगठनों से या सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाओं से सूचनाएं पाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचना का अधिकार सरकार जिस तरह चल रही है, उसकी जानकारी लोगों को देकर सरकार को पारदर्शी बनाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

इस योजना में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व उत्पन्न करने हेतु कानून में और उसके मार्गदर्शन में व्यवस्थाएं की गई है। ग्राम स्तर पर परिवीक्षण व देखरेख समिति योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखती है और उसका विवरण तैयार करती है।

यह विवरण योजना के क्रियान्वयन के बारे आयोजित सामाजिक अन्वेषण की ग्राम सभा में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस तरह, तमाम सूचनाएं व दस्तावेज नागरिकों के सामने प्रस्तुत करना और नागरिकों द्वारा उनका सत्यापन करना इस योजना का उल्लेखनीय पहलू है।

योजना के अमल व प्रबंधन में ग्राम पंचायतों को शामिल करने से स्वयंमेव स्थानीय स्तर पर इस योजना को अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने का तंत्र मिल जाता है।

नागरिकों का रिपोर्ट कार्ड

यह एक सहभागी सर्वे है। इसमें सार्वजनिक सेवाओं के बारे में उपयोग करने वालों के मंतव्य प्रस्तुत किये जाते हैं। सूचना जिस तरह प्रस्तुत की जाती है, उसके आधार पर सर्वे का नाम तय होता है। शाला के रिपोर्ट कार्ड में विविध विषयों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के संबंध में जैसे शिक्षक नंबर देते हैं, उसी तरह यहां भी विविध सेवाओं की गुणवत्ता के विषय में जो मंतव्य लोग देते हैं उसकी सूचना इकट्ठी की जाती है। सेवाओं से उनको जितना संतोष है, वह भी उसमें जानने को मिलता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, रसद, सड़कों, बिजली आदि सेवाओं को उसमें शामिल किया जाता है।

सामुदायिक स्कोर बोर्ड

नागरिकों के रिपोर्ट कार्ड की भांति यह भी एक ऐसा साधन है कि जो सेवा प्रदाताओं के सार्वजनिक उत्तरदायित्व का निर्माण करता हैं और उनकी जवाबदेही को सुधारता है।

सामुदायिक स्कोर बोर्ड की प्रक्रिया में समुदाय को विश्लेषण की एक इकाई के रूप में किया जाता है और स्थानीय स्तर पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर देखरेख रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें समुदाय सेवाओं पर देखरेख रखता है और उनकी कार्यवाही का मूल्यांकन करता है।

सामाजिक अन्वेषण

सामाजिक अन्वेषण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें किसी विकासपरक परियोजना या कार्यक्रम की गुणवत्ता, उसमें हुए खर्च और उसके लाभालाभ को सबके सामने खुले रूप में समुदाय के द्वारा जांचा जाता है। जिस अंचल में उस कार्यक्रम की क्रियान्विति होती है उस अंचल का समुदाय सामाजिक अन्वेषण में शामिल होता है।

सामाजिक अन्वेषण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें किसी योजना, परियोजना, कार्यक्रम या किसी संगठन या विभाग के संसाधनों के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। बाद में उन सूचनाओं का विश्लेषण सार्वजनिक रूप में वितरित किया जाता है ताकि सभी स्तरों के तमाम हितैषी जान लें।

3. जन सुनवाई

जन सुनवाई समुदाय स्तर की औपचारिक बैठक है। इसमें स्थानीय अधिकारियों और नागरिकों को सामुदायिक बातों के बारे में सूचना और अभिप्रायों के आदान-प्रदान का अवसर मिलता है। ये सुनवाइयां आम जनता के लिए खुली होती हैं, अतः अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी चिंताएं व्यक्त करने का नागरिकों को अवसर देने वाला यह एक महत्वपूर्ण साधन है।

4. नागरिक न्यायाधीश

नागरिक न्यायाधीश अर्थात् समुदाय से कुछ चयनित सदस्यों का समूह। वे किसी एक समयावधि के दौरान किसी मुद्दे विशेष की जांच हाथ में लेते हैं और नीति-निर्माताओं के लिए सिफारिशें करते हैं अथवा कुछ खास कार्यों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। उनका इरादा निर्णय प्रक्रिया के लिए गुणवत्ता को सुधाराने का है और नीति निर्माण तथा उसकी क्रियान्वित अधिक लोक-स्वीकृत, प्रभावी, सक्षम व स्थायी होने की संभावना को बढ़ाना होता है। आंध्र प्रदेश में अन्न एवं कृषि के भविष्य को लेकर इस पद्धति का उपयोग किया गया था। उसमें नागरिक न्यायाधीशों ने सरकार के विजन 2020 की ग्राम विकास योजना के बारे में चर्चा की थी।

5. नागरिकों का घोषणा-पत्र

नागरिकों के घोषणा-पत्र का उद्देश्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना होता है। इसमें सरकार द्वारा प्रदत्त जिस सेवाओं का उपभोक्ता उपयोग करते हैं, उसके संबंध में उन्हें जो अपेक्षाएं होती हैं, उनका स्तर निर्धारित करके उन्हें सार्वजनिक करते हैं। नागरिक घोषणा-पत्र में यदि स्तरों का पालन न किया जाए तो नागरिकों को उनके बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार है। नागरिकों का घोषणा-पत्र एक ऐसा दस्तावेज है कि जिसमें किसी सेवा के बारे में नागिरकों को निम्न सूचनाएं मिलती हैं:

(1) सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार

(2) समय व गुणवत्ता के बारे में सेवाओं को लेकर नागरिकों की अपेक्षाएं

(3) स्तरों का पालन न किया जाए तो उनके लिए प्राप्य समाधान

(4) सेवा के बारे में कार्रवाई, खर्च व प्रभार।

6. सामुदायिक रेडियो

सामुदायिक रेडियो स्टेशन संवाद पैदा करता है और कई बार उसमें श्रोता भाग लेते हैं। यह मुनाफे वाली सेवा नहीं हैं, कम खर्चाली है। रेडियो स्टेशन का स्वामित्व समुदाय का होता है और वही उसका संचालन करता है। वह स्थानीय भाषा में स्थानीय समस्याओं के बारे में बात करता है और स्थानीय समस्याएं व चिंताएं व्यक्त करता है।

सामाजिक देखरेखः शिक्षण, स्वास्थ्य और ग्राम विकास

विगत कुछ समय से शासन और विकास के बारे में नागरिकों का प्रतिवेदन नेशनल सोशियल वाच द्वारा प्रति वर्ष तैयार किया जाता है। 2010 के इस प्रतिवेदन में भारत में शिक्षण व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रवर्तमान परिस्थिति और सरकार की उससे संबंधित नीति के बारे में जो देखरेख-स्वरूप प्रतिवेदन तैयार किया गया है। उसका अत्यंत संक्षिप्त सारांश यहां **श्री हेमंतकुमार शाह** द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावना

शासन विकास का मुद्दा है और सुशासन प्रभावी एवं सर्वसमावेशी विकास हेतु आधारभूत जरूरत है। देश भर में जिस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, वह शासन है। जो लोग सरकार में हैं उनके लिए सत्ताधिकार का उपयोग शासन है। मानव विकास के दो महत्वपूर्ण अंगों - शिक्षण व स्वास्थ्य के बारे में शासक जो निर्णय लेते हैं उनका असर मानव विकास के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। इस संदर्भ में शिक्षण व स्वास्थ्य क्षेत्रों के बारे में तथा ग्राम विकास के क्षेत्र में भारत सरकार ने अंत में जो कदम उठाये, नीतियां बनायीं, नीतियों का अमल किया और प्रवर्तमान परिस्थिति पर असर पड़ा अथवा पड़ने की संभावना है, इस पर सामाजिक देखरेख के भाग स्वरूप उपस्थित मुद्दों को यहां प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षण

भारत में 1991 में नयी आर्थिक नीति की शुरूआत के बाद अर्थतंत्र में अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। ठीक इसी प्रकार शिक्षण क्षेत्र में भी भारी परिवर्तन आया है।

सरकार ने शिक्षण क्षेत्र को बाजार के लिए खुला रखा है और उसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के निजी खिलाड़ी शिक्षण क्षेत्र में प्रविष्ट हुए हैं। पर यह एक हकीकत है कि शिक्षण के अधिकार के नियम से यदि शिक्षण क्षेत्र में उचित सुधार व पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था हो तो शिक्षण की समस्याएं दूर होने को अवसर उत्पन्न हुए हैं।

भारत में एक तरफ 2009 में शिक्षण के अधिकार का कानून बनाया गया और 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों हेतु निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण का बुनियादी अधिकार बनाया गया, तो दूसरी तरफ, शिक्षण में विविध स्तरों पर निजीकरण ने गति पकड़ी है। उसमें सार्वजनिक-निजी भागीदार के मॉडल को भी स्वीकार किया गया है। इसके उपरांत, स्कूल वाउचर की व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि शिक्षण के निजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिले।

सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान सार्वत्रिक शिक्षण हेतु शुरू किया गया। परंतु उसके क्रियान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था में खास सुधार जरूरी हैं। 2010-11 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बजट 39,904 करोड़ रु. था और वह जीडीपी (सकल घरेलू आय) के 0.72 प्रतिशत के लगभग ही था । 2009-10 में भी प्रतिशत की मात्रा इतनी ही थी। 2009-10 में सर्व शिक्षा अभियान हेतु 13,100 करोड़ रु. रखे गए थे और उसके बाद के वर्ष में 15000 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे।

वित्त मंत्री ने अपने 2010 के बजट भाषण में सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रगति की प्रशंसा की थी। परंतु सरकार के अपने अनुमान कुछ और ही कहते हैं। शालाओं में विद्यार्थी और शिक्षक नहीं रहते। ऐसी समस्या सर्व शिक्षा अभियान से हल होने की संभावना न के बराबर है। इसका कारण यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शाला में निर्माण कार्य और शिक्षकों की संविदा भरती पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है।

2008-09 में सर्व शिक्षा अभियान के बजट में से 28 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य हेतु और 31 प्रतिशत राशि शिक्षकों के वेतन हेतु आवंटित की गई थी। परंतु अध्ययन और अध्यापन की सामग्री, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शोध व मूल्यांकन हेतु कम राशि रखी गई थी। फिर बजट में राशि बढ़ाई जाए तो शिक्षण क्षेत्र में उससे

तालिका 1: शिक्षण पर भारत सरकार का खर्च और शिक्षण उपकर की आय

वर्ष	शाला शिक्षण एवं साक्षरता विभाग का कुल खर्च (करोड़ रु.)	शिक्षण उपकर की आय (करोड रु.)	(3) (2) का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
2004-05	8004	अप्राप्य	अप्राप्य
2005-06	12536	अप्राप्य	अप्राप्य
2006-07	17133	8746	51.04
2007-08	23191	11128	47.98
2008-09	26026	12134	46.62
2009-10	25338	12257	48.37
2010-11	33214	14433	43.45

टिप्पणी: 2004-05 से 2009-10 तक के आँकड़े संशोधित अनुमान हैं और 2010-11 में आंकड़े बजट अनुमान हैं।
स्रोत: सिटीजन्स रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट - 2010, पृष्ठ 4-8।

कोई ज्यादा विकास होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। पैसा यथा समय और प्रभावी रूप से उपयोग में लाना जरूरी है।

2008-09 में देश में सर्व शिक्षा अभियान हेतु आवंटित राशि में से मात्र 29 प्रतिशत राशि ही वर्ष के प्रथम 6 माह में खर्च हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शाला को साधन सामग्री व अन्य आवर्ती खर्चे हेतु मात्र 5000 रु. ही आवंटित किए जाते हैं। इसी भांति शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति रोजाना 100 रु. आवंटित किए जाते हैं जिसे प्रभावी प्रशिक्षण हेतु शायद ही पर्याप्त राशि समझा जाए।

सरकार ने नव उदारवादी नीति अपनाई है। जिसका प्रतिबिंब शिक्षण पर पड़ता है, और शिक्षण में सभी स्तरों पर निजीकरण में निरंकुश वृद्धि हो रही है। भारत में कुल शालाओं में से लगभग 15 से 25 प्रतिशत शालाएं निजी हैं। 2007-08 में 14 प्रतिशत शालाएं निजी प्रबंधन के अधीन थी जिनको सरकारी अनुदान नहीं मिलता था। यह बात डिस्ट्रिक्ट इंफर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की सूचना के अनुसार जानने को मिली है। जबकि एन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट-2009 बताती है कि 21 प्रतिशत बालक निजी शालाओं में पंजीकृत हैं और 5वें भाग से भी अधिक प्राथमिक शालाएं निजी संचालन के अधीन हैं।

कई निजी शालाएं मान्यता प्राप्त नहीं है। उनमें पंजीकृत बालकों की संख्या 25 से 30 प्रतिशत होने का अंदाजा है। इसके उपरांत ग्रामीण क्षेत्र में फीस लेने वाली शालाएं 2006 में 28 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 2009 में 44 प्रतिशत हो गई। उच्च शिक्षण तथा तकनीकी शिक्षण में तो परिस्थिति अधिक निजीकरण की नीति का निर्देश करती है।

निजी कंपनियां भी शिक्षण क्षेत्र में कूद रही हैं। ऐसा समझा जाता है कि भारत में लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश शिक्षण क्षेत्र में हो सकता है। इसके लिए निजी इक्विटी फंड की शुरूआत हुई है। 2010 में भारत में ऐसे फंडों ने लगभग 700 करोड़ रु. का निवेश किया था। 2009 के निवेश की अपेक्षा वह 50 प्रतिशत ज्यादा था। जैसे कि रिलायंस केपिटल नामक कंपनी की एक निजी इक्विटी फर्म रिलायंस इक्विटी एडवाइजर्स द्वारा 2009 में 100 करोड़ रु. का निवेश पाथवेज वर्ल्ड स्कूल नामक शाला के लिए किया गया था। इसी भाँति, 2006 में आईटीएफसी प्राइवेट इक्विटी द्वारा

मणिलाल एज्युकेशन में 135 करोड़ रु. का पूंजी निवेश किया गया था। उसने पुनः वापिस प्रेमजी इन्वेस्ट नामक कंपनी से 190 करोड़ रु. प्राप्त किए थे।

इस तरह देखें तो शिक्षण क्षेत्र लगभग मुक्त बाजार बन गया है और शिक्षण की दूकानें खुली हों इस तरह शालाएं, कॉलेज और युनिवर्सिटियाँ खुली हैं। यह सब शिक्षण की गुणवत्ता के नाम पर होता है।

तालिका 2: भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों का सामाजिक सेवाओं पर खर्च

वर्ष	सामाजिक सेवाएं (जीडीपी का प्रतिशत)	शिक्षण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल की व्यवस्था और सफाई (जीडीपी का प्रतिशत)
2004-05	5.5	3.8
2005-06	5.6	3.9
2006-07	5.8	4.0
2007-08 (सु.अं)	6.3	4.2
2008-09 (ब.अं.)	6.6	4.3

स्रोतः सिटीजन्स रिपोर्ट ऑन गवर्नेन्स एंड डेवलपमेंट 2010, पृष्ठ 41।

स्वास्थ्य

पांच वर्ष पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की गई थी। उसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के काम में थोड़ा सुधार हुआ है पर वह सुधार असमान है और वांछित लक्ष्यांकों से दूर है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यांकों में स्वास्थ्य हेतु जो लक्ष्यांक तय किये गए हैं, लगता है भारत उन्हें हासिल नहीं कर सकेगा। 2012 तक बाल मृत्युदर एक हजार पर 30 और मातृत्व मृत्यु दर एक लाख पर 100 से कम करने का लक्ष्यांक था। हालांकि अंतिम सूचना यह दर्शाती है वह क्रमशः 53 और 250 है। इसका अर्थ यह हुआ कि 2012 तक हासिल करने वाले लक्ष्यांक 2020 तक हासिल नहीं होंगे। याने अगले दशक के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने की वजह से 24 लाख बालकों और ढाई लाख माताओं की मृत्यु होगी।

2009-10 का आर्थिक सर्वे यह बताता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 20,486 उपकेंद्र, 4,477 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 233 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम थे। यदि पिछले एक दशक की जनगणना को ध्यान में रखें तो 60,000 उपकेंद्र, 11,500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 4,000 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम हैं।

स्वास्थ्य केंद्रों में जो ढांचागत सुविधाएं होनी चाहिए वे भी नहीं हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 2007 के रूरल हैल्थ स्टेटिस्टिक्स के अनुसार प्राप्त कुछ विवरण इस प्रकार हैः

(1) 4711 उपकेंद्रों में दाइयां और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है।
(2) 68.6 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं हैं अथवा एक ही डॉक्टर है।
(3) 41.1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लेब टेक्नीशियन नहीं और 17.1 प्रतिशत में फार्मासिस्ट नहीं हैं।
(4) 64.9 प्रतिशत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ नहीं हैं।
(5) 1,188 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली और नियमित पानी की व्यवस्था नहीं हैं।

सार्वजनिक व निजी भागीदारी

सार्वजनिक व निजी भागीदारी पर अब ज्यादा से ज्यादा निर्भर हुआ जा रहा है। इसे पीपीपी के रूप में पहचाना जाता है। इसका स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं सृजित करने हेतु धन आवंटन की राज्य की क्षमता के साथ संबंध है। यह एम्बुलेंस सेवाओं के अतिरिक्त है और अस्पताल में भर्ती होने वाले और न होने वाले मरीजों के इलाज तक जाती है। इसमें अस्पताल सेवाएं प्रदान करने का भी समावेश है। पीपीपी की तरफ से ऐसा तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत-सी ढांचागत सेवाओं का संचालन आज निजी क्षेत्र में ही किया जाता है और अधिकांश लोग स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र में ही प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार की परिस्थिति में सार्वजनिक ढांचागत सुविधाएं जुटाने हेतु पैसा खर्च न करने को अच्छा गिना जाता है और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु निजी स्वामित्व की और निजी तरीके से संचालित ढांचागत सुविधाओं का उपयोग करने की बात को मूल्यवान माना जाता है। राजीव गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना और राज्य स्तरीय अन्य अनेक योजनाओं द्वारा इन मॉडल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए जर्मनी, यूके व अन्य देशों के दृष्टांत दिए जाते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की भूमिका और उसके लिए पैसा खर्च करने की भूमिका, दोनों भूमिकाओं को अलग किया गया है।

भारत में ग्रामीण अंचलों में आरएमपी के अलावा बहुत कम निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्य हैं। अधिकतर आरएमपी (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर) प्रशिक्षण विहीन नीमहकीम हैं। अत: अब पीपीपी का अर्थ ऐसा लिया गया है कि ग्रामीण अंचलों के लोगों को निम्न श्रेणी की स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक फंड में से प्रदान की जाएंगी।

इस तरह देखें तो, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सार्वजनिक निजी भागीदारी वास्तव में निजी क्षेत्र को मजबूत करेंगी और उसके लिए सार्वजनिक धन काम में लिया जाएगा। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना (सीजीएचएस) में ऐसा ही हुआ था कि जब उससे संबंधित स्तरों में उदारीकरण किया गया था। एक तरफ सार्वजनिक दवाखानों व अस्पतालों को बंद किया जा रहा है और दूसरी तरफ इस योजना के लाभार्थियों को निजी दवाखानों और अस्पतालों में इलाज लेने हेतु कहा जा रहा है और पैसा सरकार चुकाती है। निजी क्षेत्र के लिए सार्वजनिक सब्सिडी देने का यह नवीन उदारमतवादी अर्थशास्त्र है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तीसरे समीक्षा प्रतिवेदन में यह लिखा गया है: गुजरात में चिरंजीवी योजना की जांच की गई है जांच दल ने उसके बारे में टिप्पणी दी है। उसने इस योजना पर सूक्ष्मता से नजर रखने की बात कही है और कहा है कि इस योजना के ढांचे में गंभीर खामियां हैं। अत: अत्यंत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य-संभाल की गुणवत्ता एक बड़ा सवाल है तथा अन्य राज्यों में सार्वजनिक सुविधाओं में जो समस्याएं हैं वे सभी इस पर लागू होती हैं। नवजात शिशु की बुनियादी संभाल भी उसमें नहीं की जाती। सरकार सिर्फ इतना ही ध्यान रखती है कि डॉक्टर को पैसा मिल जाए और वे रोगियों की शिकायतें हल करें। सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा निजी क्षेत्र की तरफ स्वास्थ्य सेवा की मांग को मोड़ दिया जाता है, वह भी सरकारी अस्पताल की कीमत पर। ऐसे उदाहरण हैं कि दाहोद में बीपीएल महिलाओं को लाभार्थियों से भिन्न लोगों की अपेक्षा कम पैसों का भुगतान करना ही पड़ा । इसका कारण लोगों को योजना की जानकारी न होना भी बताया गया है।

दवायें

दवाओं के मामले में भी परिस्थिति चिंताजनक है। 2004 से भारत सरकार बराबर यह कहती रही है कि आवश्यक दवायें वाजिब दाम पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा नियुक्त अनेक समितियों ने इस विषय में विविध पद्धतियां सूचित की हैं। परंतु हकीकत यह है कि 1995 में 74 दवाओं के भाव पर सरकार अंकुश रखती थी और आज भी वह सूची यथावत है। इस सूची में से बहुत सी दवाएं बहुत पुरानी हो गई हैं, फिर भी वे चालू हैं। 2006 में भारत सरकार ने नयी औषध नीति घोषित की परंतु भाव नियंत्रण के मामले में उसने अभी तक कोई घोषणा नहीं की।

हाल ही में सरकार द्वारा जन औषधि नाम से दुकानें खोली गई हैं। उसमें आवश्यक दवायें सस्ते दाम पर बेची जाती हैं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन यह विकल्प नहीं वरन् पूरक ही बन सकता है। इस समय देश में मात्र 8 प्रतिशत दवाएं ही सार्वजनिक सुविधाओं द्वारा प्रदान की जा रही हैं। वास्तव में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा तमाम आवश्यक दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा प्रदान करने का वचन दिया गया था, जिसे पूरा किया जाना जरूरी है।

ग्राम विकास हेतु बजट में प्राथमिकता

2004-05 से लगातार 2007-08 तक ग्राम विकास के विविध क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन बढ़ता गया है। 2008-09 में ग्राम विकास हेतु बजट आवंटन में विशाल वृद्धि की गई थी। 2007-08 की अपेक्षा यह आवंटन 79 प्रतिशत के करीब बढ़ा था। यद्यपि 2009-10 और

शेष पृष्ठ 25 पर

गुजरात में नरेगा के अधीन सामाजिक अन्वेषण: व्यवस्था और प्रक्रियाएं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-17 के अनुसार योजना के आयोजन, क्रियान्वयन और समीक्षा को अधिक सहभागी व उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से अनिवार्य सामाजिक ऑडिट (अन्वेषण) की व्यवस्था की गई है। गुजरात में सामाजिक अन्वेषण हेतु जो व्यवस्थाएं हुई हैं और जो प्रक्रियाएं अपेक्षित हैं उनसे संबंधित विवरण इस लेख में दिया गया है। सामाजिक अन्वेषण की प्रक्रिया राज्यव्यापी बने और शिकायतों का निवारण प्रभावी रीति से हो, यह इस व्यवस्था का उद्देश्य है।

प्रस्तावना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के अनुसार सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना है। समाज के असहाय लोगों को मांगने पर काम मिले और समय पर वेतन मिले, यह सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। पारदर्शिता और उत्तरदायी वातावरण उत्पन्न करे तथा गैरकानूनी और कानून-भंग के विरुद्ध स्थानीय लोग आवाज उठायें, इसके लिए गुजरात में विगत दो वर्षों से इस योजना में सामाजिक अन्वेषण की प्रक्रिया विकसित की गई है और क्रियान्वित की गई है।

ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत तीनों स्तरों की पंचायत में जो शिकायतें हैं, उन्हें ढूंढ निकालने हेतु बहुपक्षीय अभिगम अपनाया गया है। नागरिकों द्वारा जो शिकायतें की जाती हैं और जिला स्तरीय देखरेखकर्ताओं के माध्यम से जो शिकायतें आती हैं वे नियमित रूप से देखी जाती हैं ताकि पता लगे कि मजदूरों की दृष्टि क्या है। इसका प्रयोजन भ्रष्टाचारी तरीकों को ढूंढ निकालना है, परंतु योजना ठीक से काम करे इस हेतु प्रभावी तंत्र निर्मित करना है।

गुजरात सरकार के ग्राम विकास विभाग द्वारा सामाजिक अन्वेषण व शिकायतों के निवारण हेतु राज्यव्यापी तंत्र विकसित किया गया है। वह मुख्य सचिव और अतिरिक्त कमिश्नर की सीधी प्रशासनिक देखरेख में काम करता है। राज्य सरकार ने एक स्वतंत्र संस्था के रूप में उन्नति विकास शिक्षण संस्थान को उसकी व्यावसायिक कुशलता जांचने के बाद आमंत्रित किया है कि सामाजिक अन्वेषण की राज्यव्यापी प्रक्रिया को कार्यान्वित करे। उन्नति स्वतंत्र रूप से काम करती है, परंतु वह राज्य सरकार के विविध स्तरों के साथ सहयोग साधती है और निर्धारित समयावधि में सामाजिक अन्वेषण का आयोजन करती है। वह समयपत्रक तैयार करती है, प्रशिक्षण का मॉड्यूल तैयार करती है, प्रशिक्षण करती है, सामाजिक अन्वेषण की प्रक्रिया पर देखरेख रखती है और आखिरी प्रतिवेदन तैयार करती है।

सामाजिक अन्वेषण किसी तीसरे पक्ष को दिये जाने वाले कोन्ट्रेक्ट की प्रक्रिया नहीं वरन् एक संयुक्त प्रयास है ताकि कार्यक्रम सक्षम तरीके से चले। यहां सामाजिक अन्वेषण में जो प्रक्रिया हाथ में ली जाती है। उसके महत्वपूर्ण लक्षणों को उसके कुछ परिणामों के साथ रूपरेखा यहां दी जा रही है।

सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेने के महत्वपूर्ण उपाय

1. सामाजिक अन्वेषण का समयपत्रक:

सामाजिक अन्वेषण हर छः माह में एक बार हाथ में लिया जाता है। उसके लिए 20 से 30 दिनों का अभियान चलाया जाता है। इसके लिए तहसील पंचायत को एक विज्ञापन भेजा गया है जो ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अन्वेषण को हाथ में लेने हेतु जिम्मेदार हैं। सामान्यतया, हर वित्तीय वर्ष में यह अक्टूबर-नवंबर और अप्रैल-मई के दौरान आयोजित किया जाता है। तहसील पंचायत का कार्यालय ग्राम पंचायतों हेतु समयपत्रक तैयार करता है। ग्राम सभा की तारीख के 15 दिन पहले ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी दे दी जाती है।

गुजरात में सरकार जिला आयोजन समितियों के जिला आयोजन संयोजकों के साथ परामर्श करने तिथियां घोषित करती है। सामान्यतया ऐसा समय चुना जाता है जिससे लोग व सरकारी अधिकारी ग्राम सभा में भाग ले सकें। विविध संस्थाओं के साथ समन्वय में सम्पूर्ण प्रक्रिया का आयोजन होता है और उसका क्रियान्वयन होता है। इन संस्थाओं में सामाजिक अन्वेषण हेतु स्वतंत्र संस्था के रूप में उन्नति विभिन्न स्तरों का प्रशासन तंत्र, तहसील संसाधन समूह के रूप में कोई स्वतंत्र नागरिक, जिला कार्यक्रम संयोजक, कार्यक्रम अधिकारी और उन्नति द्वारा नियुक्त जिले स्तर के देखरेख कर्ताओं का समावेश होता है।

उन्नति ने नियमावली, तंत्र, फिल्म और और फ्लिप चार्ट जैसे प्रशिक्षण के साधन सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेने हेतु विकसित किए हैं। अधिकारियों को वह स्वीकार्य है और उन्होंने उसका उपयोग किया हैं। उन्होंने उनका कोई प्रतिकार नहीं किया। तहसील स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया और उन्नति द्वारा विशेषज्ञ प्रदान किए गए।

2. सामाजिक अन्वेषणकर्ता

तहसील पंचायत स्तर पर स्वतंत्र नागरिकों का बनाया हुआ तहसील संसाधन समूह रचा गया है। सामाजिक अन्वेषण करवाने में उनकी कितनी रुचि है, यह ध्यान में रखकर उसमें नागरिकों का चयन किया गया है। इस समूह के सदस्यों को सामाजिक अन्वेषण के प्रत्येक दौर से पूर्व प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे प्रभावी रूप से गांव की निगरानी व देखरेख समिति को सामाजिक अन्वेषण आयोजित करने, दस्तावेजों का सत्यापन करने, कार्यस्थलों व कार्यवाही के ब्यौरे को छानबीन करने हेतु प्रशिक्षण दे सकें।

यह तंत्र गुजरात पंचायत नियम-1993 के तहत सुसंगत है, क्योंकि सामाजिक अन्वेषण की प्रक्रिया योजना हेतु मात्र ग्राम सभा के सदस्य ही योग्य हैं। गांव की निगरानी व देखरेख समिति का एक सदस्य स्वयं ही सामाजिक अन्वेषण हेतु ग्राम सभा का अध्यक्ष पद संभालता है और तहसील संसाधन समूह के सदस्य उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं। सामाजिक अन्वेषण हेतु उत्तरदायी उन्नति के साथ परामर्श करके जिले प्रशासन तंत्र के केन्द्रीय स्तर द्वारा तहसील संसाधन समूह के सदस्य तय किये जाते हैं। यह चयन इस प्रकार किया जाता है कि तहसील संसाधन समूह के सदस्यों के साथ कोई औपचारिक अनुबंध नहीं किया जाता। उनकी सेवाएं स्वैच्छिक स्तर पर मांगी जाती है। ऐसी अपेक्षा रहती है कि तहसील संसाधन समूह का सदस्य एक सामाजिक अन्वेषण हेतु चार दिन काम करेगा। उसमें इन बातों का समावेश होता है:

1. कार्य, उपस्थितिपत्रक, भुगतान, खरीद, योग्य सामग्री व कार्यस्थलों के बारे में सूचना एकत्रित करना।
2. कार्यकर्ताओं की छानबीन करना व कार्यस्थल से सम्पर्क साधना।
3. सामाजिक अन्वेषण के स्थान पर सूचना सार्वजनिक करना। सूचना सार्वजनिक करने का एक प्रपत्र तैयार किया गया है।
4. लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार करना या प्रेरणा देना।
5. गांव की निगरानी व देखरेख समिति को प्रशिक्षण देना।
6. सामाजिक अन्वेषण गांव की निगरानी व देखरेख समिति द्वारा हाथ में लेने हेतु उसे समर्थ न देना व प्रतिवेदन तैयार करना।

तहसील संसाधन समूह के सदस्यों को सामाजिक अन्वेषण पूरा होने पर चार दिनों के काम के 800 रु. दिये जाते हैं। इस पर ध्यान दिया जाता है कि ये सदस्य आमतौर पर तटस्थ रहें और वे कार्यकर्ताओं के अधिकारों पर ध्यान दें और सामाजिक अन्वेषण हेतु नियुक्त 'उन्नति' द्वारा उन पर देखरेख रखी जाती है।

3. सामाजिक अन्वेषण का विवरण लेखन

सामाजिक अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान जो शिकायतें व अनियमितताएं सार्वजनिक रूप से प्रकाश में आती हैं उन सबका दस्तावेजीकरण किया जाता है और जब तक उनका समाधान न हो जाए, तब तक उन पर जिला और राज्य स्तर पर देखरेख रखी जाती है। शिकायतों को 10 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। काम हुए ही न हों, फर्जी कार्यकर्ता हों, मशीनों का उपयोग किया गया हौ और अन्य अनियमितताएं हुई हों तो उन पर ग्राम विकास विभाग सीधे ही ध्यान देता है। ऐसी अनियमितताओं के लिए पैसा लौटाने हेतु और कानूनी कदम उठाने हेतु आदेश दिया जाता है।

सामाजिक अन्वेषण के मूलभूत सिद्धांत

पारदर्शिता:

प्रशासनिक व निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण पारदर्शिता, लोगों को स्वैच्छिक रूप से सुसंगत सूचना तक पहुंचाना सरकार अपना दायित्व समझती है।

सहभागिता:

सभी पीड़ित लोगों को निर्णय लेने तथा योग्य ठहराने की प्रक्रिया मे भाग लेने का अधिकार है। इससे सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है।

जिम्मेदारी:

निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सरकारी कार्यकर्ता पीड़ित लोगों की क्रियाओं अथवा प्रक्रियाओं हेतु जिम्मेदार हैं।

सामाजिक अन्वेषण के प्रयोजन

- कार्यक्रम के आयोजन व अमल में स्थानीय जरूरतों का समावेश होता है या नहीं, इसकी छानबीन लोग स्वयं ही करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभार्थियों में जागरूकता पैदा करना।
- विकासपरक कार्यक्रमों की क्षमता बढ़ाना तथा प्रभाव को जांचना तथा ये कार्यक्रम ज्यादा अच्छी तरह से सफल हों, इस हेतु सुधार के उपाय खोजना।
- ग्रामीण गरीबों के हित तथा प्राथमिकता को ध्यान में रखकर अलग-अलग नीतिगत निर्णयों की सूक्ष्मता से जांच करना।
- जिन हितैषियों को सार्वजनिक सेवाएं समय पर प्राप्त न होती हों उनके अवसर के मूल्य का अनुमान लगाना।

गत वित्तीय वर्ष में लगभग 2 करोड़ रु. की राशि लौटाने का आदेश दिया गया था और लगभग 30 अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कदम उठाया गया था। विलंब से भुगतान, जोब कार्ड और पासबुक कार्यकर्ताओं के पास न होना जैसी अनियमितताओं हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को उनका हल तलाशने हेतु तथा परिस्थिति सुधारने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। कानूनी व्यवस्थाओं का ठीक से पालन कराने हेतु नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

अन्य व्यवस्थाएं

हर छह महीने से सामाजिक अन्वेषण हेतु अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा भी क्षमतावर्धक पर्यावरण निर्मित करने हेतु जिला कार्यक्रम संयोजक प्रति माह एक जिले में एक पंचायत के स्तर पर सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेता है। इसके परिणामस्वरूप जांच और सामाजिक अन्वेषण की प्रक्रिया को एक प्रकार का संस्थागत स्वरूप मिला है। सामाजिक अन्वेषण की तमाम प्रक्रियाएं व्यवस्थित रूप से कराने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) जिला कार्यक्रम संयोजक होता है। उसके हाजिर रहने से सामाजिक अन्वेषण को लोक स्वीकृति मिलती है। उन्नति जिले एवं तहसील स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर सामाजिक अन्वेषण के काम हेतु भूमिका तैयार करती है। सामाजिक अन्वेषण में तमाम दस्तावेज लोगों के सामने जांच हेतु रख दिए जाते हैं। मजदूरी की छानबीन की जाती द्वध्न और ग्रामवासियों के जो विचार लिये जाते है उन्हें सबके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। सभी जिलों में जिन जिला देखरेखकर्ताओं की नियुक्ति स्वतंत्र संस्था द्वारा की जाती है, वे प्रतिमाह तीन से चार तहसील में लगभग 20 ग्राम पंचायतों से संपर्क साधते हैं। इन अवसरों पर वे मजदूरों के साथ बातचीत करते हैं और कार्यस्थलों से संपर्क करते हैं और अनियमितताओं को नोट करते हैं। एक माह में लगभग 500 शिकायतें दर्ज होती हैं और सुधारात्मक कदम अथवा अन्य कोई कदम उठाने के लिए वे सत्तावार रूप से जिला अधिकारियों को बताते हैं। उनकी मुलाकातें अनियमितताएं घटाने में सीधे असर डालती हैं। वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, पर जिला अधिकारियों के साथ वे लगातार समन्वय रखते हैं।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायतों के समाधान हेतु जिला स्तर पर एक लोकपाल की नियुक्ति की गई है। वह सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों और उन्नति के साथ समन्वित होकर काम करता है। लोगों की शिकायतें दर्ज करने हेतु उन्नति में एक नि:शुल्क हैल्पलाइन शुरू की गई है। दीवारों पर आलेख लिखकर तथा चौपन्ने छाप कर इन हैल्पलाइनों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। अभी रोजाना 25-30 फोन आते हैं

शेष पृष्ठ 25 पर

गतिविधियाँ

शिक्षण विकास सूचकांक

शिक्षण विकास सूचकांक में गुजरात का देश में पंद्रहवां स्थान है। गुजरात का शिक्षण विकास सूचकांक (एज्युकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स - ई.डी.आई. 0.657 है। वस्तुस्थिति यह है कि गुजरात का यह सूचकांक केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब व आंध्र प्रदेश से भी कम है। केंद्र सरकार ने हाल ही में लोकसभा में शिक्षण विकास सूचकांक गिनने का निहित उद्देश्य यह तय करना सूचित किया था कि सार्वभौम प्राथमिक शिक्षण लक्ष्यांक को सिद्ध करने के संदर्भ में राज्य की स्थिति क्या है।

विद्यालय जाने वाले 1000 बालकों पर कितने विद्यालय हैं सहित अनेक मापदंडों के आधार पर शिक्षण विकास सूचकांक ज्ञात किया जाता है। इसके उपरांत, शाला में पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, बालिकाओं हेतु अलग से शौचालय की सुविधा, शिक्षक-छात्र के बीच अनुपात, शाला में बालकों के पंजीकरण का औसत, शाला बीच में छोड़ जाने वाले बालकों के औसत और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत आदि को मापदंडों में समाविष्ट किया जाता है।

गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि शिक्षण विकास सूचकांक एक उपयोगी और मूल्यवान साधन है। उससे आवश्यकता आधारित आयोजन किया जा सकता है और जिन बातों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है अथवा मदद देने की आवश्यकता है, उन्हे राज्य तय कर सकते हैं। इस अधिकारी ने बताया था कि ग्रामीण अंचलों में ढांचागत सुविधाएं सुधारने का प्रयास अब गुजरात सरकार कर रही है। उसने बताया कि अनेक शालाओं में पहली बार बालिकाओं के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। हालांकि, गुजरात में ऐसी अनेक शालाएं हैं, जहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस अधिकारी ने यह भी बताया कि ग्रामीण अंचलों की अनेक शालाओं में शिक्षकों का अभाव है।

शिक्षा मंत्री रमणलाल वोरा ने कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने के बाद भी बहुत सारे शिक्षक नौकरी पर उपस्थित नहीं होते। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों की शालाओं की आवश्यकताएं तय करने के लिए ही गुजरात में प्रोत्साहन हेतु कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षण की गुणवत्ता और ढांचागत सुविधाओं में जो कमियां हैं, उन्हें खोजा जाता है। शिक्षा मंत्री का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब सभी शालाओं में पेयजल की और साफ-सफाई की व्यवस्था उपलब्ध है। उनका दावा था कि सभी शालाओं में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालयों की व्यवस्था भी हो चुकी है। शाला बीच में छोड़ जाने वाले बालकों की तादाद घटाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में 250 शालाएं शुरू की हैं और उसका इरादा है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षण पूरा करें।

गुजरात की 2011 की जनगणना

गुजरात की कुल आबादी 2011 में 6.04 करोड़ हो गई है। देश में सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में गुजरात का स्थान दसवां है। वैसे देश की कुल आबादी में गुजरात का हिस्सा 6 प्र.श. है और देश के भौगोलिक विस्तार में गुजरात का क्षेत्रफल 6 प्र.श. है। 2001 से 2011 की समयावधि में गुजरात की आबादी वृद्धि दर 19.17 प्र.श. रही है। इससे पहले के दशक में यह 22.66 प्र.श. थी। इस प्रकार उसमें 3.49 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। यह कमी वास्तव में उल्लेखनीय है। गुजरात में सबसे अधिक आबादी वाला जिला अहमदाबाद है और उसके बाद सूरत, वडोदरा व राजकोट जिले आते है।

आबादी के बढ़ने से आबादी की सघनता भी बढ़ती जाती है। प्रति वर्ग कि.मी. आबादी का घनत्व 2001 में पूरे भारत में 325 था जो 2011 में 382 हो गया है। इस प्रकार घनत्व लगभग 57 बढ़ा है दूसरी तरफ, गुजरात में 2001 में आबादी की सघनता की दर प्रति वर्ग कि.मी. 258 थी और वह 2011 में 308 हो गई। इस प्रकार इसमें

गुजरात में स्त्री-पुरुष अनुपात

जिला	2001	2011	जिला	2001	2011
कच्छ	942	907	भावनगर	937	931
बनासकांठा	930	936	आणंद	910	921
पाटण	932	935	खेड़ा	923	937
महेसाणा	927	925	पंचमहाल	938	945
साबरकांठा	947	950	दाहोद	985	986
गांधीनगर	913	920	वडोदरा	919	934
अहमदाबाद	892	903	नर्मदा	949	960
सुरेन्द्रनगर	924	929	भरूच	921	924
राजकोट	930	924	डांग	987	1007
जामनगर	941	938	नवसारी	955	961
पोरबंदर	946	947	वलसाड़	920	926
जूनागढ़	955	952	सूरत	810	788
अमरेली	987	964	तापी	996	1004

गुजरात में साक्षरता की स्थिति

गुजरात में साक्षरता की दर समग्रतया बढ़ी है, साथ ही महिलाओं में साक्षरता दर भी बढ़ी है। समग्र भारत में महिलाओं में साक्षरता का औसत 11.79 प्रतिशत के करीब बढ़ा है। जबकि गुजरात में लगभग 12.93 प्रतिशत बढ़ा है। गुजरात की यह उल्लेखनीय उपलब्धि है, क्योंकि महाराष्ट्र में महिला साक्षरता दर 8.45 प्र.श., तमिलनाडु में 9.43 प्र.श., आंध्र प्रदेश में 9.31 प्र.श. और हिमाचल प्रदेश में 9.18 प्र.श. के करीब बढ़ी है। कर्नाटक में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग 11.27 बढ़ा है। गुजरात में सबसे ज्यादा साक्षरता दर अहमदाबाद में और सूरत में 85.65 प्र.श., आणंद में 85.79 प्र.श., गांधीनगर में 85.78 प्र.श. और नवसारी में 84.78 देखने में आती है। महिलाओं में साक्षरता का औसत सबसे ज्यादा सूरत जिले में 81.02 प्र.श. है, जबकि अहमदाबाद में 80.29 प्र.श., नवसारी में 79.30 प्र.श., आणंद में 77.57 प्र.श. और गांधीनगर में 77.37 प्र.श. है।

लगभग 50 की वृद्धि हुई है। गुजरात में सबसे अधिक आबादी की सघनता सूरत जिले में 1376 है। उसके बाद दूसरे क्रम में अहमदाबाद में 890 है। जबकि कच्छ जिले में आबादी की सघनता मात्र 46 है और डांग जिले में 129 है। इस तरह देखने पर ज्ञात होता है कि आबादी की सघनता की दृष्टि से गुजरात के जिलों में बहुत बड़ा फर्क नजर में आता है। आबादी वृद्धि दर की दृष्टि से सबसे अधिक आबादी वृद्धि दर सूरत जिले की 42.19 प्र.श. है। दूसरे क्रम में सबसे अधिक आबादी वृद्धि दर 32.03 प्रतिशत कच्छ जिले की रही है। सबसे कम आबादी वृद्धि दर नवसारी जिले की 8.24 प्रतिशत और अमरेली जिले की 8.59 प्रतिशत रही है।

6 वर्ष तक की आयु के बालक 74.94 लाख हैं जो 2001 की तुलना में लगभग 38,228 कम है। गुजरात में इस आयु के लोगों की मात्रा कुल आबादी में 12.4 प्रतिशत है, जबकि समग्र भारत में यह औसत 13.1 प्रतिशत है। गुजरात में स्त्री-पुरुष औसत घट रहा है, जो चिंता का विषय है। 1991 में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 934 थी। 2001 में वह घट कर 920 हो गई, जबकि 2011 में और घट कर 918 रह गई। 6 वर्ष तक के बालकों में स्त्री-पुरुष की मात्रा 1991 में 928 थी। 2001 में वह 883 हुई और 2011 में वह कुछ बढ़कर 885 हुई है। प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या सबसे अधिक डांग जिले में 1007 थी, उसके पश्चात् तापी जिले में 1004 रही है। सबसे कम स्त्री-पुरुष प्रमाण सूरत में 788 और अहमदाबाद जिले में 903 रहा है। समग्र भारत में स्त्री-पुरुष प्रमाण 2001 में 933 था, जो 2011 में बढ़कर 940 हुआ है। परंतु गुजरात के लिए चिंता का विषय यह है कि वह 920 से घटकर 918 हो गया है।

आदिवासी जिलों में स्त्री-पुरुष प्रमाण अधिक है यह उल्लेखनीय विषय है। सूरत जिले में स्त्री-पुरुष प्रमाण 2001 में 810 था और वह 2011 में घटकर 788 हो गया है। हालांकि उसके पीछे स्थलांतरण एक महत्वपूर्ण वजह रही है, ऐसा सरकारी स्पष्टीकरण दिया जाता है। गुजरात के समग्र सौराष्ट्र अंचल में और उत्तर गुजरात के महेसाणा जिले में स्त्री-पुरुष प्रमाण बराबर घट रहा है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि आदिवासी जिलों में साक्षरता का औसत कम है, फिर भी स्त्री-पुरुष प्रमाण ऊंचा है। डांग जिला सबसे कम विकसित जिला माना जाता है, लेकिन स्त्री-पुरुष अनुपात में सबसे अधिक वृद्धि इसी जिले में हुई है। जिन पांच तहसीलों में स्त्री-पुरुष अनुपात ऊंचा गया है, वे सभी तहसीलें आदिवासी हैं। वड़ोदरा जिले की

कवांट तहसील सरकारी दस्तावेजों में सबसे गरीब और पिछड़ी तहसील के रूप में मानी जाती है। लेकिन इस तहसील में स्त्री-पुरुष अनुपात ऊंचा गया है। गुजरात सरकार का दावा है कि बेटी बचाओ आंदोलन के परिणामस्वरूप बालकों में स्त्री-पुरुष अनुपात ऊंचा ले जाने के सकारात्मक नतीजे मिले हैं। हालांकि उत्तर गुजरात के महेसाणा जिले और सौराष्ट्र के जामनगर, भावनगर, अमरेली और राजकोट जिलों में स्त्री-पुरुष अनुपात घटा है जहां आबादी की दृष्टि से पटेल जाति का प्रभाव बहुत अधिक है।

पृष्ठ 19 का शेष

2010-11 के बजट में यह समानता नहीं दिखती। 2010-11 के बजट में यह दर्शाया गया है कि ग्राम विकास हेतु बजट आवंटन सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) के 1.1 प्रतिशत के करीब था। जो 2009-10 में 1.2 प्रतिशत के करीब था।

ग्राम विकास हेतु बजट आवंटन के संदर्भ में केंद्र सरकार के विगत 2 बजट निराशाजनक लगते हैं। अर्थतंत्र मंदी में से बाहर आ रहा है और वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं, तब ग्रामीण रोजगार और जीवन निर्वाह की सुरक्षा हेतु सरकार को बजट में प्राथमिकता के स्तर पर आवंटन बढ़ाना चाहिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो भौतिक लक्ष्यांक दर्शाये गये हैं, वे हासिल होंगे या नहीं इस मामले में आशंका ही है और 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि अगले वर्ष पूरी हो रही है।

ऐसा चला है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) हेतु जितना आवंटन किया जाता है उसका पूरा उपयोग नही किया जाता। 2004-05 में 85.5 प्रतिशत राशि बढ़ाई गई थी, जबकि 2008-09 में 73.3 प्रतिशत राशि बढ़ाई गई थी। हालांकि 2004-05 में 11.15 लाख लोगों को सहायता दी गई थी और 2008–09 में 18.25 लाख लोगों को सहायता दी गई थी। कारण यह है कि 2004-05 में 1291 करोड़ रु. का खर्च हुआ था, जबकि 2008-09 मे 2198 करोड़ रु. का खर्च हुआ था। परंतु ग्राम विकास हेतु वास्तविक संदर्भ में वाकई कितना खर्च बढ़ा है, वह महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्रास्फीति की दर हाल के वर्षों में बहुत बढ़ गई है।

स्रोतः सिटीजन्स रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 2010, नेशनल सोशियल वाच, सेज पब्लिकेशन, वेबसाईटः www.sagepub.in

पृष्ठ 22 का शेष

और उनमें से तीन से पांच फोन शिकायतों से संबंधित होते हैं। जिस दिन फोन आता है उसी दिन फोन करने वाले की शिकायत दर्ज करने की रसीद भेज दी जाती है और उसकी प्रतिलिपि जिला स्तरीय अधिकारी को तत्काल भेज दी जाती है ताकि वे कोई कदम उठा सकें। यदि किसी गंभीर मुद्दे पर सही समय पर ध्यान न दिया जाए, तो विशेष सामाजिक अन्वेषण हाथ में लिया जाता है।

सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेने के अभियान के दौरान अब तक प्रति छः महीने 2500 अर्थात् प्रति वर्ष 5000 मामले आये हैं। जिले स्तर के देखरेखकर्ता प्रति माह लगभग 500 अर्थात प्रति वर्ष 6000 केस खोज निकालते हैं। एक जिला एक पंचायत कार्यक्रम के अधीन प्रतिमाह लगभग 15 अर्थात् प्रतिवर्ष 180 केस हाथ में लिये गए हैं और हैल्पलाइन पर प्रति वर्ष 1500 केस आते हैं। हाल ही में ऐसा तंत्र रचा गया है कि कुल 12000 केस प्रति वर्ष हाथ में लिये जाएं। यह तंत्र नया है। इस व्यवस्था की ताकत यह है कि सामाजिक अन्वेषण की समग्र प्रक्रिया को नाकामयाब बनाने वाला कोई ढांचागत अवरोध नहीं है। तहसील संसाधन समूह, जिला स्तरीय देखरेखकर्ता, सामाजिक अन्वेषण कराने वाले किसी भी सक्रिय प्रतिकार या विरोध का सामना नहीं करते।

नागरिक समाज के संगठनों द्वारा इस व्यवस्था में शामिल नहीं होने की आलोचना होती है। जो तंत्र खड़ा किया है उसमें तहसील संसाधन समूह के सदस्यों के रूप में स्वतंत्र नागरिक नेता पूरी तरह से भागीदार होते हैं और सामाजिक ऑडिट के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। फिर, सामाजिक अन्वेषण का समयपत्रक वेबसाइट पर रखकर व्यापक सहभागिता निमंत्रित की जाती है। गैर सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों को इनकी प्रक्रिया पर अवलोकन करने हेतु भी निमंत्रित किया जाता है।

संदर्भ सामग्री

नारी मुक्ति आंदोलनः समस्याएं और चुनौतियां, नारी आंदोलन का इतिहास, भाग-4

इस पुस्तक में नारी आंदोलन का इतिहास और वर्तमान चुनौतियों का आलेखन है। यह पुस्तक 'उन्नति' और 'सहियर' का संयुक्त प्रयास है। भारत में नारी आंदोलन के इतिहास के आलेखन स्त्री-अध्ययन में महत्वपूर्ण भाग के रूप में हुए हैं। इसके अतिरिक्त, नारी समूहों का विविध मुद्दों को लेकर संघर्ष तथा विविध प्रतिक्रियाओं के आलेखन भी उपलब्ध हैं। परंतु इस पुस्तक की एक विशिष्ट उपयोगिता यह है कि इसमें संवाद के रूप में नारी आंदोलन के इतिहास और चुनौतियों के बारे में समझ विकसित करने के प्रयत्न किये गए हैं। यह पुस्तिका विशेष रूप से स्त्री-पुरुष भेदभाव, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, स्त्रियों के उत्तरोत्तर निम्न स्थान के ऐतिहासिक कारण तथा समानतापूर्ण विकास हेतु सशक्तिकरण की आवश्यकता से संबंधित संकल्पनाओं के बारे में स्थानीय कार्यकर्ताओं की समझ विकसित करने के आशय से तैयार की गई है। इसमें महिला मंडल की चर्चा में भाग लेने वाले सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी प्रसंग में ऐतिहासिक अथवा हाल में घटित घटनाओं के साथ उनके अनुभवों को जोड़ा गया हो तो वह सिर्फ मुद्दों और संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के आशय से ही जोड़ा गया है।

नारी आंदोलन के इस इतिहास को चार भागों में तैयार किया गया है। प्रस्तुत पुस्तिका इस श्रृंखला का चौथा भाग है। यह समग्र श्रृंखला नारी आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अंतर्राष्ट्रीय फलक, वर्तमान आंदोलन के क्षेत्र से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों को समझने हेतु सक्रिय कार्यकर्ताओं और अध्येताओं के लिए उपयोगी है। इस श्रृंखला में सरल भाषा, लोकगीतों, व्यक्ति चित्रों आदि का उपयोग किया गया है जो स्थानीय कार्यकर्ताओं तथा पिछड़ी हुई बहनों को आंदोलन की आवश्यकता समझाने हेतु उपयोगी सिद्ध होगा।

इस चौथे तथा अंतिम भाग में समकालीन नारी आंदोलन की भूमिका, उसकी शुरूआत के समय और वर्तमान सवालों-चुनौतियों को समाहित करने की कोशिश की गई है। इसमें निम्न मुद्दे शामिल किये गए हैंः

(1) स्त्रियों का स्त्रियों द्वारा स्त्रियों हेतु स्वायत्त नारी आंदोलन (2) स्त्रियों पर हिंसा कोई निजी मामला नहीं हैः बलात्कार विरोधी संघर्ष (3) दहेज नहीं, सम्पत्ति का अधिकार दें : दहेज, दहेज हत्या और परिवार में हिंसा के विरुद्ध संघर्ष (4) लिंग परीक्षण और चयन के विरुद्ध अभियान (5) पारिवारिक कानूनों के विरुद्ध संघर्ष (6) कौमवादी राजनीति और महिलाओं के प्रश्न (7) वैश्विकरण में संचार माध्यम, सौंदर्य स्पर्धा और विकास नीति (8) सशक्तिकरण की तरफ एक कदम : विकास कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह, राजनीति में भागीदारी (9) विविधता का स्वीकार, विभाजकता का अस्वीकार।

यह पुस्तक श्रृंखला स्त्रियों तथा विकास के सवालों को लेकर काम करने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं की जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। स्थानीय कार्यकर्ताओं हेतु नारी आंदोलन के बारे मे अपनी समझ विकसित करने के अतिरिक्त इस समझ को विशाल समुदाय तक ले जाने के लिए सहायक साहित्य की जरूरत रहती है। यह पुस्तिका उस कमी को पूरा करती है। इस पुस्तिका को इस तरह तैयार किया गया हे कि इसका अध्ययन करने के बाद, कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र के जन-समूहों में भी इस विषय को प्रस्तुत कर सकें। प्रत्येक पुस्तक में स्त्री-पुरुष समानता, प्रभुताशाली वर्ग, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी सीमांत समूहों के दृष्टिकोण तथा उनके अनुभवों के उदाहरण प्रस्तुत करने की

कोशिश की गई है। प्रत्येक मुद्दे में उससे संबंधित नारीवादी समझ, उसके विरुद्ध विरोध के महत्वपूर्ण मुद्दों तथा घटनाओं व उनका विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है ताकि पाठक अपने संगठन अथवा कार्यक्षेत्र की घटनाओं को इन मुद्दों के साथ जोड़कर कदम उठा सकें।

प्राप्ति स्थान : 'उन्नति' और 'सहियर', जी-3 शिवांजलि फ्लेट्स, जाधव अमीश्रद्धा सोसायटी के पास, नवजीवन, आजवा रोड, वडोदरा - 390019. फोन : 0264 - 2513482. ईमेल : sahiyar@gmail.com

सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम निजी कानून

हिन्दी में लिखी गई इस पुस्तक में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार प्रस्थापित करते हुए जो फैसले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिये हैं, उन्हें सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में ऐसे 43 फैसलों की सूची दी गई है। ये फैसले यह दर्शाते हैं कि बुनियादी रूप से मुस्लिम महिलाओं के अधिकार किस तरह पैदा होते हैं। इन फैसलों में निम्न विषयों को शामिल किया गया है : (1) बहुपत्नीत्व और मुस्लिम महिलाएं (2) इस्लाम, मुस्लिम कानून और बहुपत्नित्व (3) बहुत लंबे अर्से तक सतत पति-पत्नी के रूप में स्त्री-पुरुष रहें, तो कानूनी विवाह की धारणा (4) सगर्भा स्त्री के साथ विवाह की कानूनी वैधता (5) विवाह का अनिवार्य पंजीकरण (6) मुस्लिम पिता की अपने बालकों के प्रति जिम्मेदारी तथा भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी (7) भरण-पोषण तय करते समय बालक का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण (8) अविवाहित मां के बालक का रक्षण (9) बालक की कानूनी वैधता (10) तीन बार बोलकर तलाक देने की कानूनी वैधता (11) मुस्लिम निजी-कानून 1937 की वैधता (12) मुस्लिम विवाह की अदालत (13) फतवे की कानूनी वैधता (14) मेहर का अधिकार और विधवाएं (15) तलाक के बाद भरण-पोषण देने की पति की जिम्मेदारी (16) पुरुष की नपुसंकता और स्त्री को भरण-पोषण (17) मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह और फौजदारी कार्यवाही अधिनियम के तहत मुस्लिम महिला को भरण-पोषण (18) पति द्वारा अनुचित धमकियां और पत्नि को भरण-पोषण (19) राज्य वक्फ बोर्ड और महिला का भरण-पोषण (20) विवाहित महिला को भौतिक रूप से दी जाने वाली भेंट (21) बहुपत्नीत्व और प्रथम पत्नी को भरण-पोषण (22) विवाह के कारण मिलने वाले सम्पति के अधिकार (23) मुस्लिम निजी कानून में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप के माध्मय से सुधार। यह प्रकाशन महिलाओं के अधिकारों हेतु लड़ने वाले एक वकील और कार्यकर्ता द्वारा तैयार किया गया है।

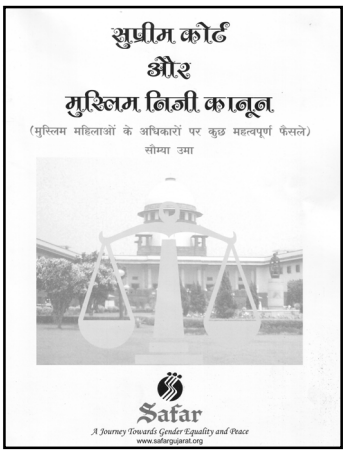

लेखिका : सौम्या उमा, अनुवाद : सोफिया खान और साथी, प्राप्ति स्थान : सफर, डी-1 रीजेन्सी पार्क प्लाजा, अंबा टावर के सामने, सरखेज मेन रोड, अहमदाबाद - 380055, फोन : 079-26820272 ईमेल : safar7@rediffmail.com

द हैंडबुक ऑन गुड गवर्नेन्स फॉर द वोलंटरी सेक्टर

स्वैच्छिक क्षेत्र के संदर्भ में सुशासन लाने हेतु यह महत्वपूर्ण पुस्तिका है। इसमें सुशासन की संकल्पना को अधिक अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। स्वैच्छिक संगठन और कार्यकर्ता स्वैच्छिक क्षेत्र के अंदर अनिवार्य कौशल विकसित करके प्रभावी शासन व्यवस्था लागू करने के लिये यह पुस्तिका महत्वपूर्ण है। स्वैच्छिक संगठनों की शासन व्यवस्था कैसी हो और वे किस तरह पारदर्शी बनें इससे संबंधित समझ इस पुस्तिका में दी गई है।

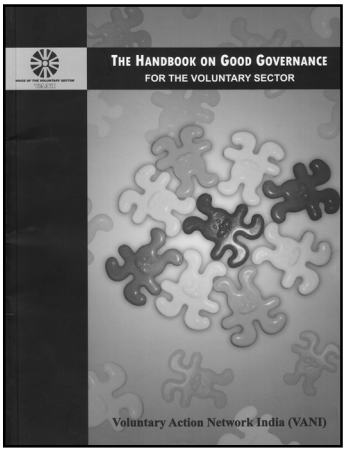

पुस्तिका के प्रारंभ में सुशासन की संकल्पना समझाई गई है और स्वैच्छिक संगठनों हेतु भारत में जो कानूनी ढांचा अस्तित्व में है उस पर विहंगावलोकन किया गया है। स्वैच्छिक संगठन के संचालक मंडल की जो भूमिका और जिम्मेदारियां हो सकती हैं, उस बारे में

शेष पृष्ठ 32 पर

विगत चार महिनों के दौरान उन्नति द्वारा निम्नानुसार प्रवृत्तियां हाथ में ली गई थीं:

(१) सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण

पश्चिमी राजस्थान में दलितों के अधिकारों को प्रोत्साहन

राजस्थान में जोधपुर जिले के भोपालगढ़, जैसलमेर जिले के पोकरन और बाड़मेर जिले के सिवाना के 196 पुरुष नेताओं और 141 महिला नेताओं हेतु सामाजिक बहिष्कार, संगठन व अधिकार तथा न्याय की प्राप्ति हेतु व्यवस्था विषयों पर 2 दिवसीय 6 प्रशिक्षण आयोजित किये गए थे। इन तीनों जिलों में जमीनें बेचने की स्थिति तथा दलितों पर उसके प्रभाव को समझने हेतु 75 गांवों में एक सहभागी अध्ययन हाथ में लिया गया था। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में सच्चाई की बराबर छानबीन की जा रही है और कानूनी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। भोपालगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 30 दिनों से भी कम काम पूरा किया गया था, जबकि योजना के तहत 100 दिनों के काम की गारंटी दी गई है। इस क्षेत्र के 330 व्यक्तियों को काम मांगने और काम प्राप्त करने हेतु पूरी मदद दी गई। परिणामस्वरूप तमाम अनुरोधकर्ताओं को इस योजना के तहत काम मिला। 'दलित अपडेट' द्वैमासिक के दो अंक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा सूचना अधिकार के बारे में प्रकाशित किये गए थे।

गुजरात में विकलांगता का मुद्दा मुख्य धारा में समाविष्ट

अंधजन मंडल के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य विषयक 4 संस्थाओं के साथ समीक्षा तथा आयोजन की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी। रोजाना के जीवन की उम्र के साथ अनुकूल प्रवृत्तियों के विषय में शिक्षा देने वाले शिक्षकों के क्षमता निर्माण हेतु यह बैठक आयोजित की गई थी। विशेष रूप से उसमें वाणी चिकित्सा से संबंधित ऐसी बुनियादी बातों को ध्यान में लेकर आकलन किया गया था। उसमें 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। व्यावसायिक चिकित्सा, शारीरिक चिकित्सा की सेवाएं तथा वाणी चिकित्सा के साधन तथा जरूरतों से संबंधित तकनीकी सेवाएं इन चार संगठनों द्वारा पूरी की गई थी। दिनांक 12-13 जनवरी 2011 के दौरान सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) विषयक एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि 9 सहभागी संगठन योजनाएं बनाएं और वे विकलांग व्यक्ति की सेवाओं की मांग पूरी करने के प्रयत्न करें।

'उन्नति' द्वारा समन्वित एक्सेस समूह द्वारा सामान्य विकास नियंत्रण नियमन की धारा - 28 को सुधारने हेतु काम किया गया। यह संशोधित दस्तावेज औडा को सौंपा गया तथा सहायक नगर आयोजक और इंजीनियरी विभाग के श्री ए. एम. जगाणी के साथ दो बैठकें करके उसके बारे में चर्चा की गई है। अंधजन मंडल और राष्ट्रीय अंधजन मंडल गुजरात द्वारा एक परामर्श सभा आयोजित की गई थी। उसमें हमने अवरोधों के निवारण से संबंधित प्रस्तुति दी थी। उसमें पर्यावरण विषयक सूचना की प्राप्ति, मानव संसाधन विकास, समानता का अधिकार तथा भेदभाव रहित पर्यावरण का अधिकार संबंधी मुद्दों को शामिल किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संस्था के समुदाय आधारित पुनर्वास के निर्देशों के बारे में दिसंबर 2011 में सीबीआर फोरम द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय परिसंवाद में हमने भाग लिया था। अंधजन मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ के समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं हेतु आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में हमने सर्वांगीण विकास हेतु चर्चा की थी तथा प्रशिक्षण प्रायोजित किया था। दिल्ली वि वविद्यालय के समान अवसर विभाग तथा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के सामाजिक व्यवस्था केन्द्रों द्वारा आयोजित परिसंवादों में हमने विकलांगता से संबंधित दो अध्ययन लेख प्रस्तुत किये थे।

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा शिक्षण का सेटकोम आधारित कार्यक्रम

गुजरात में आदिवासी इलाकों की शालाओं में कक्षा-8 के विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाने हेतु विगत चार माह की अवधि के दौरान 38 कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया था। राज्य में 15 जिलों की 175 शालाएं उसमें भाग ले रही हैं। उनके लिए और 3 वर्कबुक तैयार की गई थी। देखरेख के लिए 33 शालाओं से सम्पर्क किया गया था और कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने

के लिए 205 फोन किए गए थे। दिनांक 14-12-2010 और दिनांक 30-3-2011 को शिक्षकों के साथ वि लेषण किया गया था तथा कार्यक्रम की प्रतिक्रिया व परिणाम संबंधी विचारों का विनिमय किया गया। अब दूसरे 7 कार्यक्रमों की रेकार्डिंग तथा संपादन का काम जारी है। कुल मिलाकर 74 कार्यक्रम होंगे।

(२) नागरिक नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व और शासन

गुजरात

'उन्नति' के स्टाफ और सहभागी संस्थाओं के लिए दिनांक 9-11 फरवरी 2011 के दौरान बुनियादी सेवाओं की समुदाय आधारित देखरेख के संबंध में एक प्रशिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसका मुख्य मुद्दा सहभागी पद्धति विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ करने तथा उस विषय की सामान्य समझ निर्मित करने का था। यह पद्धति बाद में बुनियादी सेवाओं की देखरेख हेतु नागरिकों द्वारा उपयोग में ली जा सकने वाली थी। अहमदाबाद, खेड़ब्रह्मा और ईडर में सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में 86 नागरिक नेताओं के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

इस प्रशिक्षण का मकसद बुनियादी सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता पर देखरेख रखने के लिए निर्देशक तय करना था। गरीब और पिछड़े लोगों के लिए सेवाओं की पहुंच व गुणवत्ता पर देखरेख रखने हेतु कुछ पंचायतों का चयन किया गया था। उनमें सामाजिक अन्वेषण, नागरिकों का रिपोर्ट कार्ड और सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन तथा समूह चर्चा जैसे साधन व पद्धतियां तय की गई। देखरेख की प्रक्रिया के भाग स्वरूप गांव की बुनियादी सूचना एकत्रित की गई। उसके बाद वाले महिनों में इंदिरा आवास योजना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, नरेगा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त कराने हेतु नागरिकों की बनाई हुई पंचायत विकास समितियों ने देखरेख रखी। इस प्रक्रिया से जो सूचना प्राप्त हुई, उसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया गया। महिला नेताओं के लिए इस योजना की देखरेख कैसे रखी जाए, उसके लिए अलग से अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अहमदाबाद के वाडज इलाके के रामापीर टेकरा, जमालपुर के रामरहीम टेकरा और सिंगरवा से रायचंद मेघराज की चाल जैसे झोंपड़पट्टी इलाकों में भी नागरिक समूहों के साथ यह प्रक्रिया हाथ में ली गई। इन क्षेत्रों के महिला मंडलों हेतु सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की अभिमुखता हेतु एक दिन के कर्यक्रम रखे गए थे। साबरकांठा जिले में मोडासा, खेड़ब्रह्मा और ईडर तहसील में तथा अहमदाबाद जिले की धोलका तहसील में सूचना अधिकार अधिनियम के के बारे में 103 शिविरों का आयोजन किया गया था। उनसे 473 महिलाओं और 1064 पुरुषों ने सम्पर्क किया था। इन शिविरों के माध्यम से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 33 अर्जियां आई थीं, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए थी।

राजस्थान

पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की तीन दिवसीय 6 कार्यशालाएं 17-19 जनवरी 2011 के दौरान आयोजित की गई थी। उनमें 11 ग्राम पंचायतों की 24 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। उनमें सामाजिक व राजनीतिक नेतृत्व, ग्राम विकास का आयोजन और ग्राम के भावी विकास का दर्शन जैसे विषयों को शामिल किया गया था। फरवरी 2011 के दौरान 2 दिवसीय कार्यशालाओं में 19 ग्राम पंचायतों की 47 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। पंचायतों की बैठकों में उपस्थित देने हेतु और उनके अपने क्षेत्र के प्र नों को लेकर लिये जाने वाले निर्णयों में भागीदार बनने के लिए पंचायतों की महिला सदस्यों को मदद दी जाती है। उन्होंने आंगनवाड़ी और शालाओं में बालिकाओं की भर्ती तथा उपस्थिति व नरेगा के तहत परिवारों के नामांकन पर देखरेख रखने का काम भी किया है। उसके पश्चात नरेगा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बुनियादी सेवाओं की उत्तरदायी आपूर्ति तथा महिला सदस्यों के तहसील स्तरीय नेटवर्क की जरूरत जैसे मुद्दों से संबंधित कार्यशाला आयोजित की गई थी। हमने उदयपुर में राष्ट्रीय विकेंद्रीकरण प्रोत्साहन मंच की राज्य स्तरीय बैठक में भाग लिया था। यह बैठक 'द हंगर प्रोजेक्ट' और 'आस्था' द्वारा आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, मार्च 2011 में ईरमा में विकेन्द्रित आयोजन के विषय में आयोजित अंतराष्ट्रीय कार्यशाला में भी हमने भाग लिया था।

गुजरात सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सामाजिक अन्वेषण और शिकायतों का निवारण

गुजरात में नरेगा का क्रियान्वयन उचित रूप से करवाने के लिए विगत एक वर्ष से गुजरात सरकार के ग्राम विकास विभाग के साथ मिलकर 'उन्नति' काम कर रही है। शासन की संस्थाओं से प्रभावी रूप से सेवाएं प्रदान करवाने के उदेश्य से काम करने वाली 'उन्नति' इस काम में शामिल हुई है। नरेगा के तहत अक्टूबर-नवंबर में तथा अप्रैल-मई में, दो बार सामाजिक अन्वेषण गुजरात में हाथ में लिया जाता है। राज्य भर में दूसरे दौर के सामाजिक अन्वेषण हेतु तैयारियां की गई थी।

इसके अलावा सामाजिक अन्वेषण हेतु उचित वातावरण निर्मित करने के लिए प्रत्येक जिले में प्रति माह एक पंचायत के साथ काम किया जाता है। उसमें जिला विकास अधिकारी, कलैक्टर, संयोजक या जिला देखरेखकर्ता को 'उन्नति' द्वारा शामिल किया जाता है। विगत चार माह की अवधि के दौरान 49 तहसीलों में 58 सामाजिक अन्वेषणों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।

गुजरात सरकार ने नरेगा के तहत शिकायतों के समाधान हेतु निशुल्क हैल्पलाइन नंबर 1800-233-4567 शुरू किया है। यह नंबर 'उन्नति' में काम करता है। विगत तीन महीने के दौरान 12 शिकायतें इस नंबर पर दर्ज हुई थी। 26 जिलों में जिला स्तरीय देखरेख कर्ताओं ने प्रति माह 20 ग्राम पंचायतों से सम्पर्क साधा था और नरेगा के अधीन काम करने वाले मजदूरों के साथ बात की थी तथा उसके स्वतंत्र विवरण तैयार किये थे। वे विवरण जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दिये गए थे। उनके आधार पर कदम उठाये जा रहे हैं। मार्च 2010 तक विविध जिलों में 1013 शिकायतें भेजी जा चुकी हैं।

अभी तक राज्य सरकार ने 10 लोकपाल तय किये हैं जो जिला स्तर पर शिकायतों के निवारण हेतु काम करते हैं। लोकपालों को दो बार एक-एक दिन के अभिमुखता कार्यक्रम में जाना पड़ा है। जिला स्तरीय देखरेखकर्ताओं द्वारा जो शिकायतें पहचानी जाती है और जो हेल्पलाइन पर आती हैं उन्हें नियमित रूप से लोकपालों के पास भेजा जाता है। दिनांक 21-1-2011 को राज्य ग्राम विकास संस्थान-स्पिपा में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सामाजिक अन्वेषण और शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। उसमें राज्य के पंचायती राज ग्राम विकास और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री नरोत्तमभाई पटेल भी उपस्थित रहे थे।

(3) आपदा जोखिम में कमी करने के सामाजिक निर्धारक

गुजरात में आपदा की परिस्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए पांच प्रादेशिक विमर्श सभाएं आयोजित की गई थी। उनमें समुदाय आधारित आपदा जोखिम घटाने को प्रोत्साहन देने के लिए सामूहिक कार्य किस तरह किया जाए, इस पर चर्चा की गई थी। उसमें 113 गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपस्थिति दी थी। गुजरात राज्य आपदा संचालन अधिकरण और गुजरात रेडक्रॉस के साथ मिलकर प्राथमिक चिकित्सा व बचाव कार्य के बारे में विविध स्थानों पर कौशल निर्माण हेतु 6 प्रशिक्षण आयोजित किये गए थे। उसमें 100 महिलाओं और 250 पुरुषों ने भाग लिया था। उसमें ग्राम स्तरीय कार्यदल के सदस्य; कॉलेजों के विद्यार्थी, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और पंचायतों के सदस्य शामिल थे। उनकी सूची संबंधित जिला स्तरीय आपदा संचालन कार्यालय को अधिक सहायता, आगे के प्रशिक्षण तथा अनुवर्ती कार्य हेतु भेजी गई थी। समुदाय आधारित आपदा जोखिम घटाने के बारे में 18-2-2011 को अहमदाबाद में राज्य स्तरीय एक विमर्श सभा आयोजित की गई थी। उसमें इसके लिए अंतिम दशक में हुए प्रयासों का विवरण दिया गया था और भविष्य के लिए जो सामूहिक कार्य हो सकता है उसके बारे में विचार किया गया था। आपदा जोखिम घटाने में गैर-सरकारी संगठन, शालाओं की सुरक्षा, जोखिम घटाने हेतु सरकारी योजनाओं का उनके साथ जुड़ाव, औद्योगिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, समुदाय आधारित आपदा संचालन की प्रक्रिया का अनुभव तथा आपात की स्थिति में 'स्फियर' के चरणों जैसे विषयों के बारे में विशेषज्ञों ने उसमें प्रस्तुति दी थी और चर्चा की थी। उसमें विविध क्षेत्रों के 75 व्यक्तियों ने भाग लिया था।

राजस्थान

राजस्थान में बाड़मेर और जोधपुर जिले की 5 ग्राम पंचायतों में समुदाय आधारित आपदा जोखिम घटाने योजनाएं तैयार करने के लिए सहयोग दिया गया। समुदाय ने मलेरिया को महामारी और अकाल को विकट जोखिम बताया और अगले महीने उनका मुकाबला करने की बात कही। पशु चिकित्सा हेतु शिविर आयोजित हुए और 17 गांवों के 512 परिवारों के 4100 बकरों का टीकाकरण कराया गया। 23 गांवों के स्वास्थ्य का स्थिति दर्शक विवरण तैयार किया गया। उसके लिए घर-घर घूमकर सर्वे किया और सक्रिय नागरिकों की एक ग्राम विकास समिति बनवाई गई, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ सम्पर्क में रहती है। महिला अर्ध-स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेतु फरवरी 2011 में दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। आपदा के समक्ष सुरक्षा प्रदान करने वाली भवन-निर्माण तकनीक का निदर्शन करने के लिए मिट्टी और फेरो सीमेंट की ईंटों से पंचायतों द्वारा प्रदत जमीनों पर भवन निर्माण कार्य चल रहा है। इन मकानों का उपयोग आंगनबाड़ी जैसे कार्यों को दलित क्षेत्रों के समुदायों द्वारा किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर 42 राजमिस्त्रियों को फेरो सीमेंट की चेनल और डोम बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समुदाय ईंटें बनाकर उसमें सहयोग दे रहा है। दो गांवों में महिला राजगीर तैयार करने के लिए उनको देने हेतु मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है।

जुलाई 2010 में जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय बीएमजेड तथा माल्तेसर के सहयोग से एक नया प्रयास शुरू हुआ है। उसका उद्देश्य यह है कि राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर जिले के 50 अकाल-संभावित गांवों में सर्वाधिक अवसर-वंचित और असहाय दलित व आदिवासी समुदाय आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समतापूर्ण तरीके से सहभागी बनें। परंपरागत तकनीक का उपयोग करके वर्षा के पानी का संग्रह करने हेतु 57 भूगर्भ टंकियां बनवाई गई हैं। सबसे अधिक पीड़ित 30 गांवों में सहभागी जोखिम आकलन तथा जरूरत तय करने की प्रक्रिया द्वारा अत्यंत गरीब लोगों को पहचाना गया और अन्य 63 टंकियों का निर्माण कार्य जल रहा है। कच्चा माल खरीदने के लिए समुदाय आधारित व्यवस्था गठित की गई है। समुदाय द्वारा स्वयं देखरेख रखने और अत्यंत गुणवत्तावाला निर्माण कार्य करवाने के लिए एक पद्धति तैयार की जा रही है।

समुदाय के प्रयासों से मनरेगा के अधीन टंकियां निर्मित कराने हेतु 71 असहाय परिवारों को मजदूरी देने हेतु सहयोग प्रदान किया गया। सार्वजनिक जल संसाधनों का सहभागी विश्लेषण हाथ में लिया गया ताकि उनकी वर्तमान स्थिति समझी जा सके और उन्हें चालू करने के लिए कदम उठायें जा सकें।

55 गांवों में 110 महिलाओं की स्वास्थ्य स्वयं सेवक के रूप में पहचान की गई है। फलौदी के 13 गांवों में 23 स्वयं सेवकों ने महिला एवं बाल स्वास्थ्य तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में दो दिवसीय अभिमुखता कार्यक्रम में भाग लिया था। एएनएम के साथ इन महिला स्वयं सेवकों को जोड़ा गया है। उन्होंने 244 बालकों का टीकाकरण किया था। उन्होंने अपंजीकृत 59 सगर्भा स्त्रियों की पहचान की। उनका प्रि-नेटल टेस्ट किया व उनको जननी सुरक्षा बीमा योजना के साथ जोड़ा। फलौदी, बालोतरा और सिंदरी तहसील के 42 गांवों के 81 महिला सामुदायिक नेताओं को उनकी तहसील में तीन दिनों का आवासीय प्रशिक्षण दिया गया था। उसमें महिलाओं ने दलितों व स्त्रियों के विरुद्ध भेदभाव के कारण खोज निकाले और उनके सामाजिक, आर्थिक व राजनीति सहभागिता पर प्रभाव को खोज निकाला था। उन्होंने विविध बुनियादी सेवाओं की स्थिति के बारे में चर्चा की और उनका वि लेषण किया और पहुंच व गुणवत्ता सुधारने हेतु भी चर्चा की। दिनांक 11-3-11 को जोधपुर में 15 महिला नेताओं ने छह बुनियादी सेवाओं पर सामुदायिक देखरेख रखने की पद्धति और निर्देशक तैयार किये। महिलाओं और कन्याओं के ग्राम स्तरीय मंडलों को सभी गांवों में प्रोत्साहन दिया गया है। वे सिंदरी तहसील के सरणु पंजी गांव की तरह स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। उन्होंने सरकार के सहयोग से ट्यूबवेल बनाया। त्रिशुलिया गांव में एएनएम को नियमित किया गया 311 गरीब दलित और आदिवासी परिवारों को विविध सरकारी

योजनाओं का लाभ दिया गया। मनरेगा के अधीन 100 दिनों के रोजगार की मांग करके 2015 लोगों को प्रोत्साहन दिया गया। जर्मन दूतावास के प्रथम सचिव डॉ. अंतजी गोल्तर-शोल्जे 7-3-11 को क्षेत्र में आए और प्रोजेक्ट की प्रगति देखी तथा प्रयोजनों को समझा।

पृष्ठ 1 का शेष

नागरिकों की इस अपेक्षा को सिर्फ नैतिक रूप से देखने की जरूरत नहीं है, अपितु उसे आंतरिक व बाह्य अंकुश के रूप में देखने की जरूरत है। समाज के सभी हितचिंतक अपना उत्तरदायित्व समझें और तदनुसार क्रियान्वयन हेतु नीतियां, नियम, नियमन, मार्गदर्शिकाएं तैयार करें और देखें कि उनकी परिपालना अनिवार्य रूप से हो। भ्रष्ट राजनीति, अर्थनीति और समाजनीति का यही एक उपाय है।

पृष्ठ 27 का शेष

भी इसमें समझाया गया है। संचालक मंडल से जो ठोस अपेक्षायें की जाती हैं, उनका व्यापक चित्र इस पुस्तिका में प्रस्तुत किया गया है। सुशासन संबंधी प्रक्रियाओं तथा तंत्रों के बारे में बताया गया है। संचालक बोर्ड के सदस्यों का चयन, हित संघर्ष, काम के विवरण तथा संचालक बोर्ड की बैठकों और समितियों के बारे में यहां चर्चा की गई हैं। पुस्तक के अंत में दिये परिशिष्टों में इस बारे में विवरण के साथ ढांचे तैयार करके दिए गए हैं। उसमें बोर्ड की बैठक की सूचना किस तरह लिखी जाए तथा स्वैच्छिक संगठन की कार्रवाई और उसकी विज्ञापित करने की नीति कैसी हो, उस बारे में भी विस्तार से तंत्र तैयार करके प्रस्तुत किया गया है, जिनका उपयोग गैर-सरकारी संगठन कर सकते हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र के संगठन जब नागरिक समाज के सदस्यों के नाते सरकार एवं कंपनियों से पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की अपेक्षा रखते है तो वे स्वयं किस तरह पारदर्शी और उत्तरदायी बन सकते हैं, उसकी चर्चा इस पुस्तिका में की गई है। कोई भी गैर सरकारी संगठन इस पुस्तिका का उपयोग करके अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बन सकता है। प्राप्ति स्थान : वाणी, बीबी-5, पहली मंजिल, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव-2, नई दिल्ली - 110048. फोन : 011-29226632 ईमेल : info@vaniindia.org

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342008, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: jodhpur_unnati@unnati.org

अनुवादः रामनरेश सोनी **ले-आउटः** रमेश पटेल, उन्नति

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद.

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।